वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग–1 व 2
[निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट)]

वित्तीय वर्ष
2012–13

प्रतिवेदकः निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट) उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय सूची

भाग–1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग)

(1)	प्रशासनिक खण्ड		
क्र0सं0	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1	विभागीय प्राधिकार के स्रोत	2.1	1–2
2	सम्परीक्षाधीन लेखे	3.1–3.2	2
3	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1–4.2	2–3
4	प्रभागीय आय–व्ययक	5.1–5.3	3–4
5	प्रभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1–6.2	4
6	विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1–7.4	4–5
7	विभाग की जनशक्ति	8	5–7
8	निदेशालय लेखा परीक्षा उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष में सम्पादित कार्य	9	7
9	सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें	10.1.1	7
10	विशेष सम्परीक्षायें तथा जांच	10.1.2	8–9
11	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1	9
12	धर्मादा संदान निधि	11	9
13	लेखाकार परीक्षा का आयोजन	12	9
14	जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण	13	9
15	निष्कर्ष	–	10
(2)	कार्यकारी खण्ड	–	11–48
(3)	परिशिष्ट क, ख, ग, घ, ङ, च, छ व ज	–	49–60

1-

प्रशासनिक खण्ड

भारतीय संघ के अधीन 09 नवम्बर, 2000 से उत्तराखण्ड राज्य का गठन हुआ। उत्तराखण्ड शासन ने वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचे का अनुमोदन करते हुए वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या 5098/वि0स0शा0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा विभाग के संगठनात्मक ढांचे में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें,सह स्टेट इण्टरनल आडिट,उत्तराखण्ड में सम्मिलित कर लिया था। उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या 127/(11)/2012 दिनांक 09 अक्टूबर,2012 द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग को सम्मिलित करते हुए लेखा परीक्षा विभाग का पुर्नगठन कर पृथक निदेशालय का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 जो कि दिनांक 8 जून 2012 से प्रवृत्त हुआ की धारा -8(3) के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों तथा उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम, 2003 की धारा 64 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 40 के अधीन सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा पर आधारित वर्ष 2011-12 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य के विधान सभा पटल पर रखा जा चुका है। लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2012-13 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

2- विभागीय प्राधिकार के स्रोत :-

2.1 उत्तराखण्ड सरकार वित्त विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 495/xxvii(11)2012 दिनांक 26 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रदेशान्तर्गत अवस्थित सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, प्रतिष्ठानों, साविधिक प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं/नगरी स्थानीय निकाय, सरकारी समितियों के संगत नियमों एवं तदधीन निर्मित नियमावलियों एवं परिनियमावलियों आदि में उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 में यथास्थान शासन द्वारा इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उक्त संस्थाओं की लेखा परीक्षा निदेशक, लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा की जायेगी।

2.2 उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 (उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02 सन् 2012) जो कि दिनांक 08 जून, 2012 ई0 (ज्येष्ठ 18,1934 शक सम्वत्) से प्रवृत हुआ की धारा-4(1) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने इस विभाग को यह शक्ति भी प्रदान की है कि ऐसे आडिटी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की परीक्षा पूर्णतया ऐसे किसी अधिनियम में जिसके द्वारा या अधीन आडिटी स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दौरान या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

2.3 उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 में प्रादेशिक विधान मण्डल द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट आदेश पारित करने के उपरान्त अब स्थिति यह है कि प्रदेशान्तर्गत स्थित सभी सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, प्रतिष्ठानों, साविधिक प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं, सोसाइटी जिनका प्रबंधन/नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, सोसाइटी जो केन्द्र/राज्य से वित्त पोषित है,समस्त अन्य संस्थायें जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है, समस्त अन्य सरकारी/गैर सरकारी संगठन जो राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान,ऋण,सहायिकी या किसी

प्रकार की वित्तीय सहायता, पूर्णतया या अंशतः प्राप्त करते है। नगर पालिकाओं/नगरी स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों की सम्परीक्षा अनिवार्यतः निदेशक लेखा परीक्षा तथा पंचायत लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा की जानी है।

3- सम्परीक्षाधीन लेखे -

3.1 वर्ष 2012-13 में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं की संख्या । उप सम्परीक्षा से सम्बन्धित 947 संस्थाओं का विवरण संलग्न **परिशिष्ट ''क'' भाग-1** में दिये गये हैं। शेष सम्वर्ती सम्परीक्षा एंव शतप्रतिशत लेखा परीक्षा से सम्बन्धित 16 संस्थाओं की सूची परिशिष्ट ''क'' भाग-2 के रूप में संलग्न है।

3.2 वर्तमान में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं का सरकारी गजट, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-495/xxvii(11)2012 देहरादून, 26 नवम्बर, 2012 जो उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 लागू होने की तिथि 8 जून, 2012 से प्रभावी है, की संलग्न **परिशिष्ट ''क'' भाग-1** अनुसूची परिशिष्ट ''ख'' में दी गयी है।

4- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य : -

4.1 शासन द्वारा निदेशालय लेखा परीक्षा को प्रदेश की सभी सरकारी विभागों,सार्वजनिक निगमों,सरकारी कम्पनियों, प्रतिष्ठानों साविधिक प्रधिकरणों पंचायती राजसंस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वीकृत किये गये वितीय अनुदानों एवं ऋणों आदि का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सकल आय एवं व्यय एवं बजट प्राविधानों की सम्परीक्षा का दायित्व दिया गया है जिससे सम्परीक्षा के माध्यम से शासन एवं विधान मण्डल को यह ज्ञात होता रहे कि इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नहीं। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वितीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व भी हो जाता है।

4.2 निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट) के कार्यकलाप निम्नवत् हैं :-

- 1- सम्परीक्षित स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमित एवं अनिगमित निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों आदि के विविध लेखों की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं तथा शासन को सूचित करना।
- 2- उपर्युक्त संस्थाओं का वितीय मार्ग दर्शन करना।
- 3- उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।
- 4- नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन एवं उपादान की पुष्टि एवं संस्तुति करना।
- 5- महालेखाकार को उपर्युक्त संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में संहत आख्या प्रस्तुत करना।

- 6- नगर पालिका परिषदों, जिला पंचायतों, नगर निगम, विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों के लेखाकार परीक्षा का आयोजन करना।
- 7- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।
- 8- सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिये उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 9- स्थानीय निकाय के लेखा कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।
- 10 विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठयॉं आयोजित करना।
- 11- धर्मादा सन्दान न्यासों के निधियों को विनियोजित करने तथा उन पर प्राप्त ब्याज को प्रादेशिक एवं भारत सरकार के न्यासों को संवितरण करना।
- 12- प्रभागीय कार्यकलापों सहित संहत वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 13- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।
- 14- सम्परीक्षाधीन स्थानीय प्राधिकारियों के अधिनियम एवं परिनियमों के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।
- 15- उपर्युक्त स्थानीय निकायों/ संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।
- 16- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।
- 17- बजट परिणामों तथा वास्तविक परिणामों की निरंतर तुलना करना।
- 18- अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निस्पक्षता सुनिश्चित किया जाता।
- 19- लोक निजी सहभागिता की समीक्षा करना।
- 20- भण्डार में सामग्री की प्राप्ति पर नियंत्रण की समीक्षा करना।
- 21- सरकारी निधियों अथवा सामग्री के संचालन के सम्बन्ध में लेखा अथवा विवरणियां सही ढंग से अनुरक्षित और समय पर प्रस्तुत करने सम्बन्धी समीक्षा।
- 22- केन्द्र पुरोनिधानित/राज्य योजना/बाह्य सहायित योजनाओं की समीक्षा/मूल्यांकन करना।
- 23- अधिष्ठान (जीपीएफ तथा नई पेंशन योजना सहित) की समीक्षा करना।

5- <u>प्रभागीय आय-व्ययक :-</u>

5.1 यद्यपि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा द्वारा सभी स्थानीय निकायों एंव स्वायत्तशासी संस्थाओं व अन्य निगमित,अनिगमित आदि की सम्परीक्षा की जाती है। सरकारी विभागों, सार्वजनिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, प्रतिष्ठानों, साविधिक प्राधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं/नगरी स्थानीय निकाय, सरकारी समितियां आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन है।

5.2 इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक आय-व्ययक के माध्यम से राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

5.3 लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निधारित दरों पर किया जाता है, जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें **परिशिष्ट** ''ग'' उत्तराखण्ड राज्य में लागू है।

<u>6- प्रभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :-</u> वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रभागीय व्यय एवं इस वर्ष में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वितीय वर्ष	व्यय (रुपये)	आरोपित सम्प० शुल्क (रुपये)
1-	2012-13	2,31,77,273	3,37,17,536.00

6.2 निदेशालय लेखा परीक्षा द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति (सर्विस नेचर) के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नहीं की जा सकती है।

<u>7.1- निदेशालय लेखा परीक्षा, विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था</u> :- उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शा० सं० 127/xxvii(11)/2012 दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 द्वारा लेखा परीक्षा उत्तराखण्ड के नियन्त्रणाधीन लेखा परीक्षा विभाग के रुप में कार्यरत है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्विस्तरीय है :-

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट** ''घ'' में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट** ''ड.'' में दी गयी है।

<u>7.2-1- मुख्यालय स्तर :-</u>निदेशालय लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है, जो निदेशालय लेखा परीक्षा (आडिट) उत्तराखण्ड के नाम से जाना जाता है। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट) उत्तराखण्ड हैं।

7.2 -2 – मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-८ में दिया गया है। वर्तमान में जनपदों की प्रमुख बडी संस्थाओं जैसे :- नगर निगम, मण्डी परिषद, नगर पालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, मन्दिर समितियों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, इन निकायों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं आनुतोषिक के सत्यापन एवं पुष्टीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – जनपद स्तरीय :- लेखा परीक्षाधीन इकाईयॉ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। विभाग के लेखा परीक्षा कर्मी सभी जनपदों में नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित जनपद में स्थित परीक्षाधीन ईकाइयों की लेखा परीक्षा करते रहते हैं। उनके कार्यो पर स्थानीय नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु जनपद स्तर पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित हैं प्रदेश के 09 जिलों में जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं।

7.4 – राज्य स्तरीय :- शासनादेश संख्या वि०अनु० -1/2003 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह्नगर एवं वन विकास निगम नरेन्द्रनगर (टिहरी गढवाल) में सम्परीक्षा अधिकारियों के कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

8- विभाग की जनशक्ति :- वर्ष 2012-13 के अन्त में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा तथा सहकारी समितियां एंव पंचायतें प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है:-

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत
1-	समूह ''क''			
	1. अपर निदेशक	02	0	0
	2. संयुक्त निदेशक	02	01	50.00
	3. उप निदेशक	04	02	50.00
2-	समूह ''ख''			
	1. लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड-1	04	-	शून्य
	2. सहायक निदेशक	05	04	80 प्रतिशत
	3. जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	25	20	80 प्रतिशत
	4. सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	49	25	51 प्रतिशत
	5. वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1	13	02	15.38 प्रतिशत
	6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	02	शतप्रतिशत
	7. प्रशासनिक अधिकारी	17	09	52.94 प्रतिशत
3-				समूह ''ग''
	(1) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	303	35	11.55 प्रतिशत
	(2) लेखा परीक्षक	75	09	12.00 प्रतिशत
	(3) आशुलिपिक	04	-	शून्य
	(4) प्रधान सहायक	17	05	29.41 प्रतिशत
	(5) प्रवर सहायक	28	07	25.00 प्रतिशत
	(6) कनिष्ठ सहायक	31	17	54.84 प्रतिशत

	(7) वाहन चालक	07	01	14.29 प्रतिशत
4-	समूह ''घ''	96	14	14. 58प्रतिशत
	योग	684	151	

उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग-06 के शासनादेश संख्या 463/xxvii(11)/20 दिनांक 07 नवम्बर, 2012 द्वारा वित्त विभाग के अन्तर्गत निदेशालय, उत्तराखण्ड के पुनगर्ठन के उपरान्त पदों का सृजन किया गया है उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 की धारा-3 की उपधारा(1)व(2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा कार्य को सम्पादित करने के लिये ऑडिट निदेशालय के गठन एंव संगठनात्मक ढॉचे में निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों संख्या	अभियुक्ति
1.	निदेशक	37400-67000+ग्रेड वेतन 10000	01	
2.	अपर निदेशक	37400-67000+ग्रेड वेतन 8900	01	
3.	संयुक्त निदेशक	15600-39100+ग्रेड वेतन 7600	02	
4.	उप निदेशक	15600-39100+ग्रेड वेतन 6600	04	
5.	लेखा परीक्षा अधिकारी	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400	25	
6.	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	9300-34800+ग्रेड वेतन 4800	75	
7.	लेखाकार	9300-34800+ग्रेड वेतन 4200	01	आउटसोर्सिंग/ सेवा स्थानान्तरण
8.	सहायक लेखाकार	5200-20200+ग्रेड वेतन 2800	02	आउटसोर्सिंग/ सेवा स्थानान्तरण
9.	व्यैक्तिक सहायक		03	आउटसोर्सिंग
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर		17	आउटसोर्सिंग
11.	ड्राईवर		08	आउटसोर्सिंग
12.	अनुसेवक/डाक/वाहन/ मशीन/ऑपरेटर/रिकार्ड हैण्डलिंग		15	आउटसोर्सिंग
			154	

उपरोक्त के अतिरिक्त संदर्भित शासनादेश में यह भी व्यवस्था की गयी है कि:

2. नियमित नियुक्ति होने तक प्रमुख सचिव वित्त/सचिव वित्त द्वारा नामित अपर सचिव वित्त, निदेशक लेखा परीक्षा का पद पदेन धारण करेंगे।

3. ऑडिट निदेशालय का मुख्यालय देहरादून में स्थित होगा।

4. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग तथा सहकारिता पंचायत लेखा प्रभाग के वर्तमान काडर एकीकृत काडर के सबकाडर के रूप में रहेंगे। ये सबकाडर एक डाइंग काडर रहेंगे। स्थानीय निधि तथा सहकारिता पंचायत लेखा प्रभाग के वर्तमान ढांचे के पदधारकों के शनैः शनैः सेवानिवृत्त होने पर पदों के मृत घोषित

होने पर परिकल्पित ढांचे के अवशेष पदों पर सेवायोजन की कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से की जायेगी। तद्नुसार ,वर्ष 2012-13 के लिये स्थानीय निधि लेखा प्रभाग तथा सहकारिता पंचायत लेखा प्रभाग के वर्तमान काडर में निम्न पदों को मृत घोषित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक	मृत घोषित पद
1	लेखापरीक्षक	33
2	ज्येष्ठ लेखापरीक्षक	204
3	वरिष्ठ सहायक	09
4	कनिष्ठ सहायक	19
5	स्टैनो	04
6	अनुसेवक	77
7	ड्राईवर	03
	कुल पदों की संख्या	349

वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति के अवसर यथावत बने रहेंगे।

5. नव सृजित पदों भर्ती/चयन की कार्यवाही,कार्यरत अधिकारियों को नये ढांचे में प्रवेश (Induction)प्रदान किये जाने की कार्यवाही सेवा नियमावली के प्रख्यापित होने के बाद की जायेगी।

6. नव सृजित उक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9- निदेशालय लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष में सम्पादित कार्य :- वर्ष 2012-13 में 80 प्रतिशत लेखा परीक्षा पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन **963** लेखाओं में से **90** लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण की गई। शेष **873** लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नहीं करायी जा सकी। उक्त के अतिरिक्त शासन के आदेशानुसार नगर निगम, हरिद्वार उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालन विकास अभिकरण एंव पशुपालन विभाग की सम्परीक्षा सम्पन्न करायी गयी ।

10.1.1 – सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें :-

(क) निदेशालय लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2012-13 तक सम्रीक्षित लेखाओं में उदघाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रु० 35,21,46,488 की धनराशि अन्तर्निहित थी। जिसका शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	शीर्षक	धनराशि (रु० में)
1-	अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय	23,46,87,201
2-	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें	6,85,95,847
3-	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	29,21,316
4-	आर्थिक क्षति	1,01,03,576
5-	राजस्व क्षति	9,63,802
6-	दुर्विनियोग	82,07,278
7-	अनानुमोदित व्यय/विविध अनियमिततायें	2,66,67,468
	योग	**35,21,46,488**

(ख) प्रदेश में स्थित सम्परीक्षाधीन संस्थाओं पर 31 मार्च, 2013 तक लम्बित आडिट आपत्तियों का विवरण परिशिष्ट "च" में दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष में संस्थाओं द्वारा मात्र 900 आडिट आपत्तियों का निस्तारण कराया गया।

10.1.2 – विशेष सम्परीक्षाऐं तथा जांच :-- प्रभाग के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति से सम्बन्धित की विशेष जॉच, संस्था, अथवा जिलाधिकारी या आयुक्त के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से सम्पादित की जाती है।वर्ष 2012-13 में निम्नांकित संस्थाओं की विशेष लेखा परीक्षा/जांच सम्पादित करवायी गयी।

- 1- जिला निर्वाचन अधिकारी अल्मोडा
- 2- जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढवाल।
- 3- उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम, लिमिटेड (उपनल) की वितीय अनियमिततओं की जांच/सम्परीक्षा
- 4- उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र देहरादून (2006-07 से 2011-12)
- 5- चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत इनफारमेशन एजुकेशन एण्ड कौमिनिकेशन यूनिट
- 6- सचिवालय प्रशासन के कम्प्यूटर एंव सम्बद्ध उपकरणों की ए0एम0सी0 के मामलों की सम्परीक्षा
- 7- श्री जे0एस0 सुहाग,वन संरक्षक शिवलिक वृत्त द्वारा कथित अर्वैध रूप से प्राप्त की गयी सुविधाओं के सम्बन्ध में विशेष सम्परीक्षा
- 8- किसान इटंर कालेज, पीरुमदारा रामनगर (नैनीताल)
- 9- कुमांऊ विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत परीक्षा फार्म उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में विशेष सम्परीक्षा

- 10 पशुपालन विभाग की परफारर्मेन्स आडिट रिपोर्ट
- 11 उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण
- 10.2.1 – सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :- वर्ष 2012-13 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :-

	(रुपयों में)
01 अप्रैल, 2012 को प्रारम्भिक शेष	9,22,78,192.00
वर्ष में स्थापित माँग	4,65,44,777.00
योग	13,88,22,969.00
वर्ष में समाहरण	2,48,28,515.00
31 मार्च, 2013 को बकाया	11,39,94,454.00

10.2.2 – उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आरोपित लेखा परीक्षा शुल्क की वसूली करने का पूरा प्रयास किया गया। इन्ही प्रयासों के फलस्वरुप वर्तमान वित्तीय वर्ष में (दो करोड़ अड़तालीस लाख अठठाईस हजार पांच सौ पंद्रह रुपये) की वसूली हुई है जिसमें गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित है। उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 की धारा 4(2) के अधीन आडिटी जिसके लेखा की परीक्षा की जानी हो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित दर पर लेखा परीक्षा फीस का भुगतान करेगा।

11. धर्मादा संदान निधि - चैरीटेबुल एण्डाउमेन्ट एक्ट 1890 (एक्ट आफ 1890) की धारा-3 के अधीन उत्तरांचल की भौगोलिक सीमा में स्थित न्यासों की परिसम्पत्तियों के लिये निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड को शासनादेश संख्या 163/xxvii(2)/2005 दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 द्वारा कोषपाल, खैरासी निधि नियुक्त किया गया है। इनका विवरण परिशिष्ट ''छ'' में दियां गया है।

(1) वर्ष 2012-13 में प्रतिमूतियों से कुल प्राप्त ब्याज का ₹ 195817.00 प्रतिशत ₹ 191901.00 के भुगतान आदेश सम्बन्धित न्यासों को प्रेषित किये गये तथा 02 प्रतिशत ₹ 3916.00 राजकोष में जमा किया गया ।

12- लेखाकार परीक्षा का आयोजन :- दिसम्बर, 2012 में जिला पंचायत लेखाकार परीक्षा का आयोजन मात्र 04 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा कोरम पूरा न होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं करायी गयी।

जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण वर्ष 2012-13 में प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् थी :-

वर्ष के प्रारम्भ में शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में निस्तारित	अवशेष
75	349	375	49

14- निष्कर्ष -

उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' से स्पष्ट है कि इस विभाग को वर्ष 2012-13 में 1002 लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित करनी थी। जनशक्ति की भारी कमी के कारण सम्परीक्षा शुल्क देने वाली स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सम्परीक्षा को वरीयता देते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निश्चित करते हुए मात्र 117 लेखाओं की लेखा परीक्षा समाप्त करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं से सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित रु० 352146488.00 की गम्भीर वितीय अनियमिततायें प्रकाश में आयी जिनमें व्यपहरण, दुर्विनियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति, राजस्व की क्षति आदि प्रकरण समाविष्ट हैं।

आस्था लूथरा

(आस्था लूथरा)
निदेशक

2 कार्यकारी खण्ड

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वर्ष 2012-13)

वर्ष 2012-13 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं। इन वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशियों के संस्थावार विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र० सं०	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि (रु० में)
1	नगर पालिका परिषदें	101237706
2	नगर पंचायतें	4915075
3	कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉं	3614269
4	कृषि विपणन बोर्ड	4095019
5	विकास प्राधिकरण	7786
6	विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षा	3636117
7	विश्वविद्यालय	210619106
8	मन्दिर समितियां	140034
9	इंजिनियरिग कालेज	8488981
10	राष्ट्रीय सेवा योजना	69385
11	जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण	53010
	योग	**352146488**

टिप्पणी – विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ज'' में दिया गया है।

वर्ष 2012-13–में सम्पन्न सम्परीक्षायें

नगर पालिका परिषदें

1- नगर पालिका परिषद, विकासनगर, देहरादून अवधि वर्ष 2010-11

(1) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता-

(1) कर्मचारियों को छठे वेतन का त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण वेतन का ₹ 31,970.00 अधिक भुगतान:- श्री विनोद, चपरासी को ₹ 10,440.00 दिनांक 31.12.2011 तक अधिक मूल वेतन एंव श्री ओमप्रकाश,चुंगी मोहर्रिर को ₹ 21,530.00 दिनांक 31.12.2011 तक अधिक मूल वेतन कुल ₹ 10,440.00+21,530=31,970.00 अधिक भुगतान किया गया था।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर संख्या (1)(च)में संदर्भित

(2) आर्थिक एंव राजस्व की क्षति-

(क) पालिका बस,स्टैण्ड पार्किंग ठेका में निर्धारित स्टाम्प शुल्क पर अनुबन्ध न कराए जाने से ₹ 5,500.00 राजस्व की क्षति:- पालिका द्वारा वर्ष 2010–11 में पालिका बस स्टैण्ड पार्किंग ठेका ₹ 56,000.00 में किया गया था। पालिका द्वारा ठेकेदार से निर्धारित स्टाम्प शुल्क पर अनुबन्ध नहीं कराया गया था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1889 की अनुसूची प्रथम (ख) के अनुच्छेद 35(ख) के अनुसार ठेके के निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय था एंव उन्ही पर अनुबन्ध कराया जाना था। निर्धारित दर पर स्टाम्प शुल्क में अनुबन्ध न कराए जाने से ₹ 5,500.00 की राजस्व की क्षति हुई।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर संख्या (1)(घ)में संदर्भित

(रव) भवन कर पर देय सरचार्ज को माफ किया जाना ₹ 58,613.00 आर्थिक हानि:- पालिका बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पास कर प्रस्ताव सं0 14(7) दिनांक 30.12.10 के क्रम में करदाता की बकाया धनराशि जमा किये जाने पर ₹ 58,613.00 सरचार्ज माफ कर दिया था। नगर पालिका अधिनियम की धारा 137 के अन्तर्गत बकाया कर का सरचार्ज माफ करने का अधिकार विहित अधिकार/राज्य सरकार को था। सरचार्ज को माफ किया जाने से पालिका को ₹ 58,613.00 आर्थिक क्षति हुई।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर संख्या (1)(छ)में संदर्भित

(ग) अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त राजकीय अनुदानों से सृजित सम्पतियों आवंटन प्रीमियम की नीलामी विधिवत पूर्ण न करायें जाने से ₹ 1,85,365.00 राजस्व की क्षति:- अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त राजकीय अनुदानों से सृजित सम्पत्तियो आवंटन प्रीमियम की नीलामी विधिवत पूर्ण न करायें जाने से ₹ 1,85,365.00 राजस्व की क्षति हुई।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर(1)(ख)में संदर्भित

(घ) अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान ₹ 10,75,408.00 दुर्विनियोग:- अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत मार्केट काम्पलैक्स हेतु प्राप्त अवशेष अनुदान में से ₹ 10,75,408.00 अनुदान मद से भिन्न मदों जैसे सड़क एंव नाली निर्माण पर किया गया था जो ₹ 10,75,408.00 अनुदान का दुर्विनियोग था।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर(1)(ङ)में संदर्भित

2. नगर पालिका परिषद, नई टिहरी (वर्ष2010-11)

1- दुर्विनियोग के प्रकरण –

वर्ष 2009-10 में पुर्नवास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना खण्ड 22 सिचांई विभाग, नई टिहरी से नाली निर्माण/रोड निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान ₹ 11,00,000.00 का प्रयोग पालिका द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु किया गया। अत: उक्त व्यय कि धनराशि को प्रयोजन के विपरीत अन्य मद में व्यय किया जाना अवैधानिक एंव दुर्विनियोग है। **(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–1((घ)में संदर्भित)**

2- अनानुमोदित व्यय -

शासनादेशा संख्या 469/v–श०वि०/166(सा०)/2006,दिनांक 31 मार्च, 2006 के द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि 31 मार्च, 2006 से मात्र एक वर्ष के लिये बढाया गया था। अत: उक्त अवधि के बाद से अयतन गतिमान कार्यों पर सम्परीक्षा अवधि में व्यय ₹ 13,96086.00 हेतु शासन की अनुमति नही ली गई थी। **(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–1 क (1)में संदर्भित)**

3- अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(i)नगर पालिका परिषद, टिहरी द्वारा बस अड्डे के पक्कीकरण एंव सौन्दर्यकरण के मानचित्र एंव प्राक्कलन हेतु मै०के०सी०कुरियाल आर्किटेक्ट को ₹ 1,50,000.00 का भुगतान किया गया था। किंतु बस अड्डे के पक्कीकरण हेतु निर्माण कार्य में उक्त प्राक्कलन एंव मानचित्र का उपयोग न होने के कारण किया गया व्यय सम्परीक्षा में अमान्य है।

(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–1(च)में संदर्भित)

(ii)संदर्भित सम्परीक्षा अवधि में वाहनों का समस्त मरम्मत कार्य बिना सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी,टिहरी गढवाल की तकनीकी संस्तुति के कराया गया है। जिस पर किया गया भुगतान ₹ 83,391.00 सम्परीक्षा में मान्य नहीं था।

(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–(झ ii)में संदर्भित)

4. अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता-

(i)पालिका द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ₹ 19,54,590.00 का भुगतान शासनादेश संख्या 798(i)iv(i)/2008 दिनांक 23 मई 2008 के आलोक में अनियमित व्यय था।

(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–1 ट(2)में संदर्भित)

5. अधिक/अनियमित अमान्य भुगतान-

(iii)वार्ड संख्या-8 में तरूण जनरल स्टोल के निकट पार्क निर्माण के स्थान पर वार्ड न० 5A तिराहे पर निरंकारी संत्सग भवन के नीचे पार्क निमार्ण कार्य किया गया था, जिसके लिये नये टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये थे। नये कार्य एंव पुराने कार्य की प्राकलित धनराशि एक समान ₹ 1,98,529.00 अनियमित था।

(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–1ख (4)में संदर्भित)

3.नगर पालिका परिषद, हरिद्वार (वर्ष 2009-10 से 2010-11)

1. अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता-

1.दैनिक वेतन एंव संविदा कर्मचारियों की वेतन भुगतान पर अनियमित व्यय ₹ 4,78,17,048.00/– का भुगतान।

(सम्परीक्षा आख्या भाग 2(ब)आपति सं०–1 में संदर्भित)

2.अनियमित रूप से नगदीकरण का भुगतान

(सम्परीक्षा आख्या भाग 2(ब)आपति सं०–5(2) में संदर्भित)

2. आय की क्षति एंव राजस्व की क्षति से सबन्धिति अनियमिततायें -

1.गृहकर की भारी धनराशि बकाया रहना।

(सम्परीक्षा आख्या भाग 2(ब)आपति सं०–7 में संदर्भित)

4. नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढवाल (वर्ष 2009-10 से 2011-12)

1. अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता-

1.दैनिक/नियत वेतन पर पालिका द्वारा कर्मचारियों को नियोजित किये जाने के फलस्वरूप ₹ 2,86,404/– का पालिका निधि पर अनियमित व्यय भार पड़ा।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर – 1 (इ) (ख)

2. पालिका द्वारा दैनिक वेतन/नियत वेतन पर कर्मचारी नियुक्त कर आलोच्य अवधि में ₹ 12,87,776/– का अनानुमोदित व्यय किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या अनुच्छेद–3(IV)(2)

2. अनानुमोदित व्यय-

1.पालिका द्वारा आलोच्य अवधि में बजट प्राविधान के विपरीत अधिक व्यय किये जाने से ₹ 93,82,483/– का अनानुमोदित व्यय किया गया।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर – 1 (च)

3. <u>अधिक/अनियमित/अपरिहार्य/अमान्य भुगतान-</u>

1.पालिका द्वारा ₹ 1,00,000/– की लागत से अधिक के कार्य को बिना निविदा आमंत्रित किये विभागीय स्तर पर कराये जाने के कारण ₹ 4,62,437/– का अनियमित भुगतान किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब)प्रस्तर–1(क) (4)

4. <u>आर्थिक एंव राजस्व की क्षति-</u>

1.नगर पालिका द्वारा गांधी मैदान,रामलीला मैदान आदि स्थानों पर शादी हेतु आरक्षण किया गया था एवं पूर्ण वसूली न किये जाने से पालिका को ₹ 7200/– के आय की क्षति हुई थी।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1 (घ)

2.आय हेतु बजट में किये गये प्राविधान के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न किये जाने से पालिका को ₹ 12,63,805/– की लक्ष्य से कम आय प्राप्त हुई थी।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब)प्रस्तर–1(छः)

3.तहबाजारी पार्किंग,कुली पल्लेदारी हेतु दिये गये ठेके की धनराशि के सापेक्ष ₹ 12,950/– के स्टाम्प शुल्क की वसूली न किये जाने से शासकीय क्षति हुई थी।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1 (ज)

4 तहबाजारी,कुली पल्लेदारी,सीटी बस ठेकेदारों से ठेके की सम्पूर्ण राशि न वसूल किये जाने से ₹ 1,36,991/– की पालिका को आर्थिक क्षति हुई थी।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब)प्रस्तर–1(झ)

5. <u>अनानुमोदित व्यय-</u>

(I)- बजट प्राविधान से अधिक व्यय किये जाने से ₹ 2765642/– का पालिका द्वारा अनानुमोदित व्यय किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या अनुच्छेद–3(I)(2)

(II)- तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का उपभोग,उपभोग तिथि समाप्त होने के बाद किये जाने से ₹ 33,81,982/– का पालिका द्वारा अनानुमोदित व्यय किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या अनुच्छेद–3(I)(3)

6.<u>आर्थिक क्षति-</u>

(I)- विलम्ब से कार्य पूर्ण किये जाने पर देयक से ₹ 1,36,336/– की क्षतिपूर्ति की कटौती न किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या अनुच्छेद–3(II)(3)

(II)- ठेकेदार द्वारा रास्ता/पुराना टूटन पर मरम्मत न कराने पर पालिका द्वारा जमानत की धनराशि एंव सी०डी०आर० ₹ 50,000.00/– जब्त न किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या अनुच्छेद–3(II)(4)

7.अधिक/अनियमित/परिहार्य/अमान्य व्यय

(I)-भण्डार एंव रख रखाव की व्यवस्था न होने व बिना आवश्यकता के पालिका द्वारा हाथ गाडी क्रय किये जाने पर ₹ 1,77,950/– की धनराशि का दुरूपयोग किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या अनुच्छेद–3(II)(5)

(II)- मै० सकलानी इलैक्ट्रांनिकल्स देहरादून को पोल फिटिंग हेतु ₹ 6,600/– को अधिक भुगतान किया।

सम्परीक्षा आख्या अनुच्छेद–3(I I)(6)

(III)- वेबसाइट निर्माण में मै० **Pixel Senses** श्रीनगर को ₹ 95,000/– का अनियमित भुगतान किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या अनुच्छेद–3(II)(7)

8- राजस्व/आर्थिक क्षति-

(I)- नवनिर्मित जेल बगीचे में दुकान के किराये ₹ 36,400/– कम वसूल किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या अनुच्छेद–3(III)(ii)(a)

(II)- 23 दुकानों के आवंटन में शर्तें पूरी न किये जाने पर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर पालिका को ₹ 93,500/– की आर्थिक क्षति।

सम्परीक्षा आख्या अनुच्छेद–3(III)(ii)(b)

9.दुर्विनियोग-

1- नगर पालिका पालिका द्वारा ₹ 7,49,000.00/– अस्थायी अग्रिम का समायोजन न किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या अनुच्छेद–3(V)(6)

10.आर्थिक क्षति-

(1)- ठेका कुल्ली पल्लेदारी हेतु ठेकेदार श्री दिगविजय सिंह से ₹ 90,100/– की वसूली न किये जाने से पालिका को आर्थिक क्षति हुई।

6.नगर पालिका परिषद, श्रीनगर (गढ.वाल) वर्ष 2009-10 से 2011-12

1. अनानुमोदित व्यय-

1.बिना शासन की अनुमति प्राप्त किये पालिका निधि से पालिका हेतु अम्बेडकर कार क्रय पर ₹ 564635.00/– का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख)

2. अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततां -

1.बिना पद सृजन के पालिका में दैनिक वेतन/संहत वेतन पर नियुक्ति कर ₹ 4433490.00 का अनानुमोदित व्यय किया गया।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर – 1 (इ)(II)

2.त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप पालिका परिषद द्वारा ₹ 235273.00/– का वेतन का अधिक भुगतान किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर – 1 (इ)(III)

3.बिना पद सृजन के पालिका परिषद द्वारा 57 कर्मचारी नियोजित कर आलोच्य अवधि में ₹ 33,74,299/– का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1 (ख) (i)

4.सफाई कर्मचारियों को अवकाश दिवसों एवं साप्ताहिक अवकाश में कार्य करने के फलस्वरूप रविवाररीय भत्ता का भुगतान पालिका परिषद के स्वंय के स्रोतों से प्राप्त आय से न कर राज्य वित आयोग से प्राप्त अनुदान से किया गया था। चयनित माहों में ———————— ₹ 21,925/– का अनयिमित भुगतान पालिका परिषद द्वारा किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1 (ख) (ii)

5.पालिका परिषद द्वारा छठा वेतन एरीयर का पेंशन अंशदान ₹ 4,41,307/– (अकेन्द्रियत कर्मचारियों का) जमा न किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1 (ख) (V)4

3. आर्थिक राजस्व की क्षति-

1.पालिका परिषद द्वारा तहबाजारी का ठेका न दिये जाने एवं संविदा कर्मचारियों द्वारा तहबाजारी की वसूली किये जाने से पालिका को ₹ 306085.00/– की आय की आर्थिक क्षति हुई।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग) (1)

4.अनानुमोदित व्यय-

1.पालिका परिषद द्वारा बजट में आय प्राप्ति हेतु किये गये प्राविधान के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति न किये जाने से ₹ 2428580.00 का अनानुमोदित व्यय किया गया।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो(ब)प्रस्तर –1(च)(1)

5.अधिक/अनियमित/अपरिहार्य/अमान्य व्यय-

1.मै० अग्रवाल एजेन्सी श्रीनगर को केबिल की आपूर्ति हेतु पालिका परिषद द्वारा ₹ 1809.00/– का अधिक भुगतान किया जाना। सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1 (क) (i)

6.आर्थिक राजस्व की क्षति से सम्बन्धित अनियमितंताए-

1.विज्ञापन देयकों से टी०डी०एस० की कटौती पालिका परिषद द्वारा न किये जाने से चयनित माहों में ₹ 233/– की राजस्व की क्षति थी।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1 (ग) (4)

7.राजकीय अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित अनियमितंता-

1.चारधाम यात्रा हेतु प्राप्त अनुदान का उपभोग यात्राकालीन अवधि में वेतन,उपकरण,दवाईयों पर ₹ 3,59,342.00/– का ही व्यय पालिका द्वारा किया गया था।शेष धनराशि ₹ 40658.00/– वापस न कर बिना अनुमोदन के व्यय किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1 (ख) (iii)

2.13वां वित्त से प्राप्त धनराशि का उपभोग पालिका परिषद द्वारा उपभोग तिथि समाप्त होने के बाद बिना अनुमोदन प्राप्त किये ₹ 10,49,807/– का व्यय किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1 (घ)

7.नगर पालिका परिषद,चमोली-गोपेश्वर (वर्ष 2011-12)

1.अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता-₹ 2791071/ असृजित पदों पर तैनात कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान राज्य वित आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान से किया जाना अनियमित था।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर 50 संदर्भित)

2;राजस्व की क्षति-(क) ₹ 149357.00 विविध नीलामी ठेकों पर कम मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर अनुबन्ध किये जाने के फलस्वरूप राजकीय राजस्व की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर "क" में संदर्भित)

(ख) ₹ 38025.00 विहित प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किये गये संकल्प के बिना पालिका द्वारा पुष्ट किये गये संकल्प के बिना नीलामी ठेकों पर कम मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर अनुबन्ध किये जाने के फलस्वरूप राजकीय राजस्व की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर "क" में संदर्भित)

(ग) ₹ 20000.00 वधशाला शुल्क की कम वसूली से राजस्व की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर "झ" में संदर्भित)

(घ) ₹ 8450.00 विविध व्यावसायिक लाइसेन्स कम बनाये जाने के कारण राजस्व की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर "क्ष" में संदर्भित)

3.अधिप्राप्ति से सम्बन्धित अनियमिततायें –

(क) ₹ 25 लाख से अधिक आगणन के निर्माण कार्य विना विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा के कुल 166.19 लाख के निर्माण कार्य के सम्पादन मे अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन न करना अनियमित था।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर "च" में संदर्भित)

(ख) निविदा समिति की संस्तुतियों के बिना रू० 342730 की सामाग्री क्रय करना अनियमित था।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर "ख" में संदर्भित)

4.दुर्विनियोग–

(क) ₹ 40294 विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राजकीय अनुदान का दुर्विनियोग किया गया था।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर "ज" में संदर्भित)

8.नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग (वर्ष 2011–12)

1.अधिक/अनियमित/परिहार्य/अमान्य व्यय:- ₹ 2000 बधाई संदेशो के विज्ञापन पर व्यय करना अनियमित था।

(अनुच्छेद तीन के "क" में संदर्भित)

2.अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता-₹ 2495243 असृजित पदों पर तैनात कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान राज्य वित आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त अनुदान से किया जाना अनियमित था।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर "ख" में संदर्भित)

3.राजस्व की हानि-

1.₹ 251859.00 नीलामी ठेके की धनराशि की वसूली न किये जाने से राजस्व की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर में संदर्भित)

2.₹ 30079 तहबाजारी पार्किंग मजदूरी लाइसेन्स ठेके की नीलामी में ठेकेदारों से निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के स्टैम्प पेपरों में अनुबंध किये जाने से राजकीय राजस्व की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद तीन के "घ" में संदर्भित)

3.₹ 39220 विवध व्यवसायिक लाइसेन्स कम बनाये जाने के कारण राजस्व की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद तीन के "ज" में संदर्भित)

<u>3. अधिप्राप्ति से सम्बन्धित अनियमिततायें</u> –

(क) ₹ 29.80 लाख के निर्माण कार्य विज्ञापन द्वारा निविधा पृच्छा के बिना कराया जाना अनियमित था।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर "च" में संदर्भित)

(ख) ₹ 221321 की सामाग्री बिना कोटेशन के आपूर्ति किया जाना अनियमित था।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर झ में संदर्भित)

(ग) ₹ 10800 की सामाग्री क्रय पर सक्षम अधिकारी के प्रमाण-पत्र एंव क्रय आदेश का अभाव रहना अनियमित था।

(अनुच्छेद तीन के प्रस्तर "ग" में संदर्भित)

नगर पंचायते

9. नगर पंचायत हरबर्टपुर (देहरादून) अवधि वर्ष(2010-11)

1.अधिक/अनियमित/अमान्य व्यय:-

(क) नगर पंचायत ठेकेदारों को निर्माण कार्यों में अनुबन्ध धनराशि से अत्यधिक धनराशि ₹ 12,02,100.00 अनियमित भुगतान किया गया।

नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में ठेकेदारों के अनुबन्ध धनराशी से 152 प्रतिशत अधिक के बिल प्रस्तुत करने पर ₹ 12,02,100.00 अनियमित भुगतान किया गया।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) स्तर 1(ग) में सन्दर्भित)

2.अधिप्राप्ति सम्बन्धी अनियमितता-

श्री राजेन्द्र पटेल ठेकेदार द्वारा एक लाख रूपये से अधिक का कार्य बिना निविदा के सम्पादित किया गया था। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में नियम 11 के अनुसार ₹ एक लाख से अधिक के निर्माण कार्य के सम्पादन के लिए खुली निविदा का आमंत्रित किया जाना आवश्यक था।

(सम्परीक्षा भाग- दो (ब) के प्रस्तर 2(ख) सन्दर्भित)

3.राजस्व एंव आर्थिक क्षति-

(क)ठेके सप्ताहिक पैड़ के माफी दिये जाने से ₹ 40,000 की आर्थिक क्षति- वर्ष 2010-11 का पैठ का ठेके श्री महिपाल सिंह सैनी को ₹ 8,85,000.00 में दिया गया था। ठेकेदार के प्रार्थना पत्र पर एक दिन (तिथि अंकित नहीं) सोमवार को भारत बन्द होने के कारण पंचायत बोर्ड द्वारा बोर्ड प्रस्ताव संख्या 147 दिनांक 22-11-2010 के प्रस्ताव पास कर ठेकेदार श्री महिपाल सिंह सैनी को ₹ 40,000.00 ठेके की धनराशि की माफी दी गई थी। जिससे पंचायत को ₹ 40,000.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(सम्परीक्षा टिप्पणी भाग- दो (ब) के प्रस्तर 4(क) में सन्दर्भित।)

(ख) मांग व समाहरण पंजी की जांच से प्रकाश में आया कि पूर्व के वर्षो की ठेके की धनराशि वसूल न किये जाने से पंचायत को ₹ 1,69,083.00 की आर्थिक क्षति हुई।

(ग) नगर पंचायत द्वारा नीलामी ठेकों में निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध नहीं कराये जाने से भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1889 की अनुसूची प्रथम (ख) के अनुच्छेद 35(ख) के अनुसार स्टाम्प शुल्क ₹ 1,10,610.00 राजस्व की क्षति हुई।

(सम्परीक्षा टिप्पणी भाग- दो (ब) के प्रस्तर 4(ग) में सन्दर्भित।)

4.अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितता-

(क) **संविदा एंव दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रामिक पर ₹ 12,95,125.00 का अनियमित व्यय-** नगर पंचायत हर्बटपुर द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत हर्बटपुर में कुल 11 सृजित पद है, यह पद पूर्णतः भरे हुये हैं। इसके अलावा 19 कार्मिक संविदा पर कार्यरत है एंव 06 कार्मिक दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं।

शासनादेश सं0-3462/210 वि0आ0-04-235(सा0)/2003 शहरी विकास/आवास अनुभाग, देहरादून दिनांक 06 अगस्त,2004 द्वारा संविदा/दैनिक नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया था। ऐसी स्थिति में संविदा/दैनिक कर्मचारियों को वेतन/पारिश्रमिक ₹ 12,95,125-00 का भुगतान अनियमित था।

(सम्परीक्षा आख्याभाग- दो (ब) के प्रस्तर 5(क) सन्दर्भित)

10. नगर पंचायत, चम्बा, टिहरी गढवाल (सम्परीक्षा 2010-11)

1. दुर्विनियोग के प्रकरण –

संस्था द्वारा वर्ष 2010–11 में तहबाजारी ठेकेदारी की शेष दो किस्तों ₹ 67,400.00 की वसूली सम्परीक्षा तिथि तक नहीं किये जाने से उक्त धनराशि का दुर्विनियोग सम्भावित था।

(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–(2) में संदर्भित)

2-अधिक/अनियमित/ अमान्य/परिहार्य व्यय -

(1) संस्था द्वारा निर्माण कार्यों की माप मेजरमन्ट बुक में दर्ज किये बिना, घटित विचलनों की स्वीकृति तथा कार्य पूर्णता का सत्यापन सक्षम स्तर से करायें बिना किया गया भुगतान ₹ 2,37,368.00 अनियमित एंव अमान्य है।

(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–(1ड) में संदर्भित)

3. राजकीय अनुदान एवं ऋणों के उपभोग से संबंधित अनियमितायें –

(1) संस्था द्वारा आलोच्य अवधि 20.10.11 में दैवी आपदा निधि से सम्बन्धित ₹ 10,17,300.00 के व्यय द्वितीय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से किया जाना अनियमित था।

(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–1(ग) में संदर्भित)

(2) पूर्ववर्ती वर्षों में अनुदानों एंव ऋणों की उपयुक्त अन्तिम अवशेष धनराशियों क्रमशः ₹ 1,76,661.00 एंव ₹ 5,86,890.00 की अवस्थिति/जमा का कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य, सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध नहीं था।

(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–1(ख) में संदर्भित)

4. राजस्व की क्षति –

(1) तहबजारी ठेके अनुबंध में स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प पेपर एक्ट 1899 के धारा 2(16) सी शयडूल (356) के अनुसार स्टाम्प शुल्क दर ₹ 1000 एंव इससे अधिक धनराशि पर ₹ 125.00 प्रति हजार

की दर से ₹ 1,01,100.00 पर ₹ 12,638-00 का स्टाम्प शुल्क के स्थान पर मात्र ₹ 100-00 का स्टाम्प पेपर लगाया गया था।

(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–1 में संदर्भित)

कृषि उत्पादन मण्डी समितियां

11. कृषि उत्पादन मण्डी समिति, देहरादून (वर्ष 2010–11)

1.राजस्व की क्षति:-

कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा 15 कैन्टीनों की नीलामी एक वर्ष के लिए की गई थी।समिति एंव निविदादाताओं के मध्य एक वर्ष के लिए कैन्टीन किराया अनुबन्ध अनुचित रूप में ₹ 100.00 के स्टाम्प पेपरों पर किया गया था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार समिति द्वारा अनुबन्ध निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपरों में न कराने के कारण ₹ 92,156.00 के राजस्व की हानि हुई।

(सम्परीक्षा टिप्पणी भाग- दो (ब) के प्रस्तर 1(क) सन्दर्भित)

6. आर्थिक क्षति-

समिति द्वारा विविध व्यवसायों के लाइसेन्सों का नवीनीकरण नही किया गया था। जिससे समिति को ₹ 39,050.00 की आर्थिक क्षति हुई।

(सम्परीक्षा टिप्पणी भाग- दो (ब) के प्रस्तर 1(ग) सन्दर्भित)

समिति द्वारा वर्ष 2010–11 में व्यापारियों से ₹ 45,118.00 मण्डी शुल्क एंव ₹ 11,279.00 विकास शुल्क 31 मार्च, 2011 को जमा नहीं करायी गयी थी। इससे समिति को ₹ 56,397.00 की आर्थिक क्षति हुई।

(सम्परीक्षा टिप्पणी भाग- दो (ब) के प्रस्तर 1(छ) में सन्दर्भित)

12- कृषि उत्पादन मण्डी समिति रामनगर (नैनीताल) 2011-12

1. आर्थिक/राजस्व की क्षति:-

(क)- मण्डी शुल्क की वसूली न किये जाने से समिति को ₹ 2363967.00/– आय की क्षति हुई थी।

भाग 2 (ब) प्रस्तर – 1 (क)

(ख)- मण्डी समिति परिसर में स्थित सूखे एंव गिरे हुये वृक्षों की समय पर निलीमी न किये जाने से ₹ 143141.00 की क्षति हुई थी।

भाग 2 (ब) प्रस्तर – 1 (ख)

(ग)- मण्डी समिति द्वारा किराये की वसूली न किये जाने से ₹ 730798.00 के क्षति हुई थी।

भाग 2 (ब) प्रस्तर – 1 (घ)

13- कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी नैनीताल:-2010–11 एंव 2011-12

1.अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितायें-

(क)- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप श्री अशोक कुमार जोशी टंकक/लिपिक को छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत ₹ 108845.00/– का अधिक भुगतान किया गया था।
सम्परीक्षा आख्या भाग 2 (ब) प्रस्तर – 1 (2) में संदर्भित

(ख)- त्रुटिपूर्ण वेतनवृद्धि दिये जाने के फलस्वरूप श्रीमती अनीता नयाल मण्डी निरीक्षक को वेतन एंव भत्तों के रूप में ₹ 5005.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग 2 (ब) प्रस्तर – 1 (3)

(ग)- श्री कैलाश चन्द्र तिवारी मण्डी निरीक्षक को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ₹ 59610.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग 2 (ब) प्रस्तर – 1 (4)

2.आर्थिक क्षति:-

(क)- किराये की वसूली न किये जाने से मण्डी समिति को ₹ 467231.00 एंव लाईसैन्सों का नवीनीकरण न किये जाने से ₹ 15300.00 के आय की क्षति हुई थी।

भाग 2 (ब) प्रस्तर – 1 (7)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कृषि विपणन बोर्ड

14.उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

परिशिष्ट-'क'

वर्ष 2012-13 की सम्परीक्षा में समावेशित महत्वपूर्ण बिन्दु

अधिक/अनियमित/अमान्य/परिहार्य व्यय-

1- सीमेन्ट कंकरीट निर्माण कार्यों में ₹ 1851824.24 मूल्य का रिक्रान प्रयुक्त दर्शाया गया था। पी०डब्लू०डी० शिड्यूल में रिक्रान प्रयोग किये जाने का प्राविधान नहीं था।

प्रस्तर–51

2- मण्डी अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत ₹ 98100.00 "पीपलू फार एनिमल" द्वारा जानवरों के उत्थान एंव बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड लिव स्टाक डिवलपमेन्ट कोर्ड को भुगतान किया गया था। यह मद मण्डी परिषद के कृत्यों में सम्मिलित नहीं थी।

प्रस्तर–68

3- शरदोत्सव समिति नैनीताल का ₹ 50,000,00 स्मारिका में विज्ञापन हेतु अग्रिम भुगतान किया गया था।

प्रस्तर–91

4- सिविल सेवा संघ की अधिवेशन सम्बन्धी पत्रिका "अरोही" में विज्ञापन हेतु ₹ 30,000,00 व्यय किया गया था।

प्रस्तर–92

1- प्रधान टाइम्स हरिद्वार को दिनांक 09.11.2009 को राज्य स्थापना दिवस के उपलब्ध में शुभ कामनाएं प्रकाशित करने हेतु ₹ 10,000.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

प्रस्तर–83

2- मार्ग सडक के निर्माण कार्यो पर ₹ 224937.00 मूल्य का पालीथीन प्रयुक्त दर्शाया था। पी०डब्लू०डी०शिड्यूल में मार्गो में पालीथीन प्रयोग किये जाने का उल्लेख नहीं था।

प्रस्तर–99

3- शुभकामना संदेशों के विज्ञापनों हेतु ₹ 269819.00 का व्यय शा०संख्या 578/10 स०वि०नि–1/99 दिनांक 16.06.1999 के विपरीत किया गया था।

प्रस्तर–16

4. कृषि वि०विद्यालय पन्तनगर में अध्ययन छात्रों हेतु स्नातक स्तर पर 35 छात्र हेतु स्नातक स्तर पर 35 छात्रवृतियों दिये जाने का प्राविधान था। इसके विपरीत 53 छात्रवृतियों वितरित थी। इससे ₹ 259200.00 निर्धारित प्राविधान से अधिक व्यय हुआ था।

प्रस्तर–122

5- देहरादून में गेस्ट हाउस/कैम्प कार्यालय के किराये के रूप में ₹ 237600.00 का व्यय हुआ था। भवन का उपयोग मण्डी परिषद के क्रियाकलापों हेतु प्रयोग किये जाने की पुष्टि नहीं करायी गयी।

प्रस्तर–82

<u>आर्थिक क्षति-</u>

1. शा०सं० 395/व०ग्रा०वि०/गन्ना चीनी/2002 दिनांक 09.09.2002 के क्रम में चीनी मिलों को ऋण हेतु ₹ 10.00 करोड जिला अधिकारी, नैनीताल को दिये गये थे। दिनांक 31.03.2007 तक दिये ब्याज ₹ 343.88664 तथा ₹ 690.00 लाख मूलधन की वसूली नहीं की गयी थी।

प्रस्तर–94

2. कृषि एंव सहकारिता विभाग विपणन एंव निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद से "मण्डी दर्पण" नामक त्रैमासिक मैगजीन के प्रकाशन हेतु ₹ 5.00 लाख प्राप्त थे। मैगजीन का केवल एक बार प्रकाशन कराया गया था। अवशेष ₹ 373539.00 की धनराशि समर्पित किये जाने से परिषद को आर्थिक क्षति हुई थी।

प्रस्तर–123

विकास प्राधिकरण

15.दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून अवधि वर्ष 2009–10 एंव 2010–11

अधिक/अनियमित/अमान्य व्यय:-

(क) **वैयक्तिक सहायक आयुक्त कार्यालय के बिलों का भुगतान दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से किया जाना अनियमित-** वैयक्तिक सहायक आयुक्त एंव अध्यक्ष दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उनके द्वारा प्रस्तुत स्टेशनरी बिल 4518 दिनांक 02.10.2010 ₹ 7,786.00 साई इटंरप्राइजेज के लिए किया गया था। वैयक्तिक सहायक द्वारा आलोच्य अवधि में विविध फर्मों से इस प्रकार के बिल तैयार करके दूनघाटी कार्यालय को प्रस्तुत कर धनराशि आहरित कराई गई थी। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार प्रत्येक ₹ 15,000.00 तक की आपूर्ति सक्षम अधिकारी के आवश्यक प्रमाण-पत्र के उपरान्त तथा ₹ 15000.00 से अधिक तथा ₹ 1,00,000.00 तक की सीमा के क्रय स्थानीय क्रय समिति की संस्तुति के उपरान्त क्रय किया जाना अपेक्षित हैं। संस्था द्वारा वैयक्तिक सहायक के बिलों का भुगतान प्राधिकरण निधि से किया जाना गम्भीर वितीय अनियमितता थी।

(सम्परीक्षा टिप्पणी भाग- दो (ब) के प्रस्तर 1(क) सन्दर्भित)

(ख) **विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत नेशनल हाइवे पर बने डिवाइडरों पर विद्युत प्रकाश व्यवस्था कार्य में पाई गई अनियमितता-** विकासखण्ड,विकासनगर हाइवे पर बने डिवाइडरों पर विद्युत प्रकाश व्यवस्था कार्य हेतु ₹ 22,74,000.00 का आगणन बनाया गया था। इस कार्य के लिए आमन्त्रित निविदा में सबसे न्यूनतम निविदा दरें गढवाल इन्जीनियर का आगणन दर था। दिनांक 26.07.2009 निविदा समिति द्वारा स्वीकृत इस कार्य की प्रारम्भ करने की तिथि 15.06.2009 तथा समापन तिथि 15.09.2009 निर्धारित थी। माप पुस्तिका-15 के पेज 17–23 के अनुसार इस कार्य की माप ₹ 2,48,830.00थी। इस कार्य के समापन की वास्तविक तिथि 15.10.2010 थी जो कि निर्धारित तिथि से 13 माह विलम्ब की कटौती किया जाना उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार आवश्यक था।

(सम्परीक्षा टिप्पणी भाग- दो (ब) के प्रस्तर 3(क) सन्दर्भित)

(ग) **निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण होने पर विलम्ब शुल्क चार्ज न किया जाना अनियमित-** आलोच्य अवधि में अनुबन्धित निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय पर सम्पादित नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम–34 (ड) के अनुसार नियम दर से विलम्ब शुल्क देय था।

(सम्परीक्षा टिप्पणी भाग- दो (ब) के प्रस्तर 3(ख) सन्दर्भित)

17.गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,उत्तरकाशी(वर्ष 2009-10 एंव 2010-11)

1-राजकीय अनुदानों के उपभोग सम्बन्धी अनियमिततायें:-

संस्था को ऋण के रूप में ₹ 1 करोड विकास कार्यों हेतु उ०प्र० शासनादेश संख्या म०मु०घो०-19(1)–28–1–89–12(3)/88 दिनांक 18.09.09 को प्राप्त हुआ था, संस्था द्वारा 75 लाख वापिस किया गया तथा शेष 25 लाख विनियोजित $9_{1/2}$ % दर पर पोस्ट आफिस में जमा किया गया अर्जित ब्याज को शासन को न लौटा कर अधिष्ठान मदों पर व्यय किया गया। **(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–1(क)में संदर्भित**

विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षायें

18. सम्वर्ती सम्परीक्षा (फार्म लेखा) पंत नगर गो०ब०पन्त कृषि एंव प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय,(फार्म लेखा),हल्दी (पंतनगर) के वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 (कृषि वर्ष) की सम्परीक्षा में पाई गई गम्भीर आपत्तियां का विवरण

1. दुर्विनियोग:-

1-बीजों का सम्भावित दुरूपयोग –गेहूं बीज के रूप में ₹ 3,19,650.65 का निर्धारित मानक से अधिक बीज बोया जाना दर्शाया गया था जिससे दुर्विनियोग अथवा दुरूपयोग परिलक्षित था।

(सम्परीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर–1(छ) में संदर्भित)

2-अधिक/अनियमित परिहार्य व्यय–

(1)फार्म अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिकाल भत्ता एंव टेलीफोन भत्ते/रिचार्ज कूपन आदि का ₹ 63405.74 का अनियमित भुगतान किया गया।

(सम्परीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर–1(द)(न) में संदर्भित)

(2)फार्म के अधिकारियों को ₹ 27481.00 मानदेय का अनियमित भुगतान किया गया।

(सम्परीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर–1(ध)में संदर्भित)

(3)विज्ञापन पर ₹ 1,13,875.00 का परिहार्य व्यय किया गया।

(सम्परीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर–1(थ)में संदर्भित)

3-आर्थिक क्षति एंव राजस्व की क्षति–

(1)पी०ओ०एल० पंजी में 91 लीटर डीजल अधिक निर्गत दिखाये जाने एंव पी०ओ०एल० पंजी में निर्गत डीजल व लाग बुक में अंकित डीजल में 7775 लीटर डीजल का अंतर पाये जाने के कारण ₹ 260968.51 की आर्थिक क्षति हुई।

(सम्परीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर–1(ख)(ड) में संदर्भित)

(2)ठेकेदारों से गन्ने की कीमत कम वसूले जाने से ₹ 2,29,828.00 की आर्थिक क्षति हुई।

(सम्परीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर–1(ग)(घ)में संदर्भित)

(3)श्री बालकृष्ण द्वारा आवंटित भूमि से अधिक भूमि को उपयोग में लाना व निर्धारित दरों से किराये की वसूली न किये जाने के कारण ₹ 62,813.00 की आर्थिक क्षति हुई।

(सम्परीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर–1(च)में संदर्भित)

(4)निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर अनुबन्ध न कराये जाने से ₹ 15,64,284.80 के राजस्व की क्षति हुई।

(सम्परीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर–1(ज)(झ)में संदर्भित)

(5)मानक से कम उत्पादन होने से फार्म निधि को ₹ 2,90,43,202.75 की आर्थिक क्षति हुई।

(सम्परीक्षा टिप्पणी के प्रस्तर–1(त)में संदर्भित)

विश्वविद्यालय,

19. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून वर्ष (2010-11)

1.दुर्विनियोग के प्रकरण – तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए अस्थाई अग्रिम दिया गया अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न किये जाने से विश्वविद्यालय निधि का ₹ 48,55,526.00 दुर्विनियोग किया गया।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर(त्र)में संदर्भित

2. अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान/अपरिहार्य व्यय:-

(1) शासनादेश के विपरीत कार्य परिषद की बैठक होटल में आयोजित किये जाने पर ₹ 28,671.00 अनियमित भुगतान–

शासनादेश सं0 578/दस-स0वि0म-1/99 दिनांक 16 जून/1999 के अनुसार बैठक होटल में आयोजित कराये जाने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध होने पर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा कार्य परिषद की बैठक होटल ग्रेड वेल्यू, राजपुर रोड, देहरादून में आयोजित करके ₹ 28,671.00 का अनियमित भुगतान किया।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर(त्र)में संदर्भित

(2) आई0टी0बी0पी की पत्रिका के प्रकाशन हेतु संस्था निधि से सहयोग धनराशि ₹ 60,000.00 का भुगतान किया जाना अनियमित–संख्या सं0 578/दस-स0वि0म-1/99 दिनांक 16 जून/1999 के द्वारा पूर्ण प्रतिबन्ध किये जाने पर भी तकनीकी विश्वविद्यालय ने उप महानिरीक्षक, आई0टी0बी0पी को परम्परा पत्रिका एंव पर्वतन पत्रिका के प्रकाशन पर सहयोग धनराशि ₹ 60,000.00 का अनियमित भुगतान किया।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर(ट)में संदर्भित

(3) मैं0 एस0आर0एन0 डाटा क्रिएट सिस्टम को टैक्स का अनियमित भुगतान ₹ 11,900.00– इन्रोलमेन्ट ओ0आ0एम एक्जाम फार्म के आपूर्ति के लिए आमन्त्रित निविदा में मै0 एस0 आर0एन0 डाटा क्रिएट सिस्टम को टैक्स का अनियमित भुगतान ₹ 11,900.00 अनियमित भुगतान किया गया।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर(न)में संदर्भित

(4) त्रुटिपूर्ण विज्ञापन के लिए ₹ 13,750.00 अनियमित भुगतान– मै0 साई मीडिया सोल्यूशन को त्रुटिपूर्ण विज्ञापन के लिए ₹ 13,750.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर(म)में संदर्भित

3. अधिष्ठान एंव वेतन सम्बन्धी निर्धारण से सम्बन्धित अनियमिततायें:-

(क) विश्व विद्यालय के कर्मचारियों को वेतन का ₹ 1,31,790.00 अधिक भुगतान:- शासनादेश संख्या 41/xxvii(7)/2010 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार सीधी भर्ती के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा रहा था, जबकि उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप वित्त (वे0आ0सा0नि0)अनु-7 संख्या 598/xxvii(7)/2010 दिनांक 20 जुलाई, 2010 के अनुसार 17 अक्टूबर, 2008 कट आफ डेट निर्धारित की गयी एंव उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप वित्त (वे0आ0सा0नि0)अनु-7 संख्या 854/xxvii(7)/2011 देहरादून दिनांक 21 मार्च, 2011 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 01-01-06 अथवा शासनादेश 395/xxvii(7)/2010 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 को आधार मानते हुये कट आफ डेट 17 अक्टूबर, 2008 रखते हुये इस तिथि से पूर्व नियुक्त सीधी भर्ती कार्मिकों को विभिन्न वेतन बैण्डों में निर्धारण शासनादेश संख्या 41/xxvii(7)/2010 दिनांक 13 फरवरी, 2009 की निहित व्यवस्थानुसार विश्व विद्यालय के कर्मचारियों को वेतन का ₹ 1,31,790.00 अधिक भुगतान किया गया।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर संख्या(ख)में संदर्भित

4. अधिक/अनियमित/अमान्य व्यय:-

(क) मैसर्स स्काईलाइन आर्किटैक्ट कन्सलटैन्ट की नियुक्ति पर अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के विरूद्ध किया जाना:- मैसर्स स्काईलाइन आर्किटैक्ट कन्सलटैन्ट प्रा0लि0, लखनऊ की नियुक्ति का निर्णय 11 नवम्बर, 2009 विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में आहूत बैठक में लिया गया था जबकि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 208/xxvii(7) दिनांक 04 जुलाई, 2008 वित्त अनुभाग (7) द्वारा जारी शासनादेश में एकल स्रोत एंव नामांकन के आधार पर कन्सलटैन्ट की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध था एंव उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट नियमावली, 2008 के नियम 58 का पालन नहीं किया गया।

सं0टि0 भाग- दो(ब)प्रस्तर(घ)में संदर्भित

(ख) कर्मचारियों को मानदेय का अनियमित भुगतान:- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2-4 के सहायक नियम-31 के अनुसार विभागाध्यक्ष को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा विशेष कार्य सम्पादन में योगदान पर ₹ 750.00 तक का अनावर्तक मानदेय प्रदान करने का प्रावधान है। यू0टी0यू0 में सृजित पद के सापेक्ष तैनात कर्मचारियों को एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विशेष अवसर पर ₹ 5,000.00 मानदेय के रूप में भुगतान किया गया था। यह उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग सं0- 211/xxvii(7)/2006 देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2006 के विरूद्ध था।

सं0टि0 भाग- दो(ब)प्रस्तर(ब)में संदर्भित

5. आर्थिक/आय एंव राजस्व की क्षति से सम्बन्धित अनियमिततायें:-

(क) विवरणिका में किये गये विज्ञापनों की वसूली न किया जाना ₹ 5,00,000.00:-पत्रांक 78981 UKSEE /2011 दिनांक 05-02-2010 द्वारा UKSEE /2011 की प्रवेश परीक्षा विवरणिका में विज्ञापन शुल्क दर आधा

पेज ₹ 25,000.00 निर्धारित था। प्रवेश परीक्षा विवरणिका के दस पेज में संस्थाओं के विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे। इस विज्ञापन के लिए शुल्क ₹ 5,00,000.00 आय की क्षति हुई।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर संख्या(क)में संदर्भित

(ख) अन्य विविध प्रकृति की गम्भीर अनियमिततायें:-

₹ 20.50 करोड़ प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु व्यय धनराशि की माप पुस्तिका एंव अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख वित नियंत्रक कार्यालय में अनुपलब्धः-प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को ₹ 20.50 करोड़ का भुगतान किया गया था।₹ 20.50 करोड़ प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु लेखा विभाग द्वारा निर्माण एजेन्सी से निर्मित कार्यों की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट,आगणन,मानचित्र,तकनीकी स्वीकृति एंव माप पुस्तिका लिए बिना चैक निर्गत किया जाना गम्भीर वितीय अनियमितता है।

सं0टि0 भाग- दो(ब)के प्रस्तर संख्या(क्ष)में संदर्भित

मन्दिर समितियां

16.श्री-05 गंगोत्री मन्दिर,गंगोत्री,उत्तरकाशी(वर्ष 2009-10 एंव 2010-11)

1-अधिक/अनियमित अमान्य भुगतानः-

निर्माण कार्यों में आयकर,व्यापार कर, (वैट), तथा जमानत की धनराशि क्रमशः नगर पालिका परिषद, टिहरी द्वारा बस अडे के पक्कीकरण एंव सौन्दर्यकरण के मानचित्र ₹ 140034.00 को ठेकेदार के बिलों से न काटा जाना अनियमित था।

(विवरण सम्परीक्षा आख्या भाग- दो (ब)प्रस्तर–1(क)में संदर्भित)

इन्जीनियरिंग कालेज

17. जी०बी०पन्त इन्जीनियरिंग कालेज घुडदौडी, पौडी गढ़वाल (वर्ष 2008–09 से 2010–11)

1.अनानुमोदित व्यय-

(क) बिना पद सृजन के संहत वेतन पर कर्मचारियों को नियुक्त करके उनके वेतनादि पर ₹ 13,03,200/– का अनानुमोदित व्यय किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 11 (4)

(ख) स्वीकृत बजट के विरूद्ध अधिक व्यय करके ₹ 54,44,860/– का अनानुमोदित व्यय किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 11 (4) (ख)

2.अधिक/अनियमित/अपरिहार्य/अमान्य व्यय-

(क) ₹ 1620/– दैनिक भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 10 (2))

(ख) ₹ 7640/– दैनिक भत्ते का अधिक भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 10 (3))

(ग) ₹ 747/– टैक्सी किराया का अधिक भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 10 (1))

(घ) डा० ज्योति प्रसाद ऐसोसिएट प्रोफेसर को ₹ 4025/– यात्रा भत्ता का अधिक भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 10 (4))

(च) ₹ 672/– दूरभाष देयक का अनियमित भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 10 (5))

(छ) मोबाइल रिचार्ज की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 29400/– का अनियमित व्यय किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 10 (6))

(ज) व्यक्तिगत दूरभाष के देयकों पर ₹ 8445/– का अनियमित व्यय किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 10 (7))

(झ) ₹ 30,000/– विज्ञापन के रूप में अनियमित भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 10 (8))

(ट) नव वर्ष शुभकामना संदेश कार्ड छपवाने पर ₹ 9400/– का अनियमित व्यय किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 10 (9))

(ठ) फुल टैक्सी के ₹ 2765/– का अधिक भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 10 (10))

(ड) ₹ 12,895/– जलपान पर अनियमित व्यय किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 10 (11))

3.अधिष्ठान सम्बन्धित अनियमितताएं-

(1) स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री लोकेश कुमार को देय वेतन वृद्धि के रूप में ₹ 653 /– का अधिक भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 11 (1))

(2) आमंत्रित प्रवक्ताओं व अंशकालिक प्रवक्ताओं को पारिश्रामिक के रूप में ₹ 4650 /– का अनियमित भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 11 (2))

(3) भविष्य निर्वाह निधि से लिये गये अग्रिम ₹ 3,12,200 /– की वसूली कर्मचारी शिक्षकों से नही की गयी थी।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 11 (3))

(4) शासनादेशों के विरीत विशेष वेतन स्वीकृत कर ₹ 25,689 /– का अनियमित भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 11 (5))

(5) श्री गजेन्द्र सिंह रावत पी०टी०आई० का वेतन के रूप ₹ 1,69,843 /– का अनियमित व्यय किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 11 (6))

4.राजस्व की क्षतिः-

(1) दूरभाष देयकों का भुगतान देय तिथि के पश्चात किये जाने के फलस्वरूप ₹ 2100/– की आर्थिक क्षति हुई।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 12 (क))

5.अधिष्ठान से सम्बन्धित अनियमितताः-

(1) कर्मचारियों व शिक्षकों को दिये गये अग्रिमों के विरूद्ध ₹ 11,18,177/– का अग्रिम असमायोजित रहा।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 12 (क))

18.राष्ट्रीय सेवा योजना प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर (गढवाल) वर्ष 2007–08 से 2011–12

1. अधिक/अनियमित/अपरिहार्य/अमान्य व्यय-

(क) इकाईयों द्वारा नियमित कार्यक्रम खाते से जलपान पर ₹ 9250/– का अधिक व्यय किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर 1 (ख)(i)(ii)(iii)

(ख) राजकीय पालिटेक्निक देहरादून इकाई द्वारा नियमित कार्यक्रम खाते से वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक जलापन मद में ₹ 41,916/– का स्वंयसेवियों के जलपान हेतु व्यय का कोई आधार न होने के कारण ₹ 41,916/– का व्यय अमान्य था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1(ख)(iv)

(ग) नियमित कार्यक्रम खाते में कन्हैया लाल पालिटेक्निक रूडकी द्वारा मानक से अधिक व्यय किया जाना ₹ 825/– अनियमित था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1(ग)(i)

(घ) इकाईयों द्वारा विशेष शिविर हेतु प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय ₹ 1427/– किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1(घ)

(इ) इकाईयों द्वारा नियमित कार्यक्रम हेतु प्राप्त अनुदान से विशेष शिविर से सम्बन्धित ₹ 14,918/– का अमान्य व्यय किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 1(ग)(ii)

(च)श्री अनिल कुमार लखेडा कार्यक्रम अधिकारी को ₹ 250/– दैनिक भत्ता का अधिक भुगतान किया जाना।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 6(ii)

(छ)श्री सफीक अहमद सिद्धिकी (प्रधानाचार्य) देहरादून को राष्ट्रीय सेवा योजना हेतु आयोजित बैठक में प्रतिभाग हेतु ₹ 799/– यात्रा भत्ता का अनियमित भुगतान किया गया था।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर – 6(iii)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

19.जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर वर्ष 2007-08 से 2011-12

राजकीय अनुदान:-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पत्रांक 318 दिनांक 01.08.2006 द्वारा प्राप्त ₹ 25,000.00/– अप्रयुक्त अवशेष था।

20. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौडी गढवाल, वर्ष 2007–08 से 2011–12

1. राजस्व की क्षति-

1.नामित अधिवक्ताओं से पात्र व्यक्तियों की पैरवी करने एंव वाद निस्तारित होने पर किये गये फीस भुगतान की धनराशि से टी०डी०एस०/आयकर कटौती न किये जाने से ₹ 3010/– की राजस्व की क्षति सम्भावित थी।

सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) के प्रस्तर –1(क)

21.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा वर्ष 2007-08 से 2011-12

राजकीय अनुदान से सम्बन्धित अनियमितताऐं:-वर्ष 2006–07 में प्राप्त ₹ 25,000.00/– के अनुदान में से ₹ 18,175.00/– की धनराशि अप्रयुक्त अवशेष था।

परिशिष्ट ''क'' भाग-।

(प्रस्तर- 3 में सन्दर्भित)

उपसम्परीक्षा के लेखे –

क्र०सं०	लेखे की श्रेणी	लेखाओं की संख्या
1-	नगर निगम	03
2-	नगर पालिका परिषद	30
3-	नगर पंचायतें	32
4-	विकास प्राधिकरण	05
5-	विश्वविद्यालय	05
6-	डिग्री कालेज	16
7-	इण्टर कालेज	212
8-	उ0मा0विद्यालय	69
9-	जूनियर हाई स्कूल	159
10-	संस्कृत पाठशालायें	70
11-	कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ	20
12-	ट्रस्ट लेखे	42
13-	विविध लेखे	273
14-	उत्तरांचल संस्कृत अकादमी	01
15-	बेसिक शिक्षा समितियॉ	13
16-	वन विकास निगम	01
17-	उत्तरांचल चाय बोर्ड	01
18-	पेंशन निधियॉ	14
19-	उत्तराखण्ड गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि काशीपुर	01
20-	जल संस्थान	01
21-	राष्ट्रीय सेवा योजना	18
योग		947

परिशिष्ट ''क'' भाग-2

(प्रस्तर-3.1 में सन्दर्भित)

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षायें :-

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा)		01
(2) -------तदैव------	(फार्म लेखा)	01
(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल।		01
(4) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर।		01
	योग	04

(ख) शत-प्रतिशत सम्परीक्षाधीन लेखें :-

(1) इन्जीनियरिंग कालेज		02
(2) मन्दिर समितियाँ		03
(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के लेखे		07
(क) विश्वविद्यालय	04	
(ख) माध्यमिक शिक्षा	02	
(ग) प्राविधिक शिक्षा	01	
	योग	12

परिशिष्ट ''ख''

(प्रस्तर-3.2 में सन्दर्भित)

लेखे का नाम एवं सम्बन्धित अधिनियम :-

1- नगर निगम	नगर निगम अधिनियम 1959
2- नगर पालिकायें	नगर पालिका अधिनियम 1916
3- नगर पंचायतें	---तदैव---
4- (क) कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉं	उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम-1964
(ख) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	---तदैव---
5- (क) जिला बेसिक शिक्षा समितियॉं	उ०प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972
(ख) बेसिक शिक्षा परिषद	---तदैव---
6- राज्य विश्वविद्यालय	उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 1973
7- विकास प्राधिकरण	उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973
8- वन निगम	उ०प्र० वन निगम अधिनियम-1974
9- महाविद्यालय, इण्टर कालेज	वेतन वितरण अधिनियम, शिक्षा संहिता एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम।
10- कृषि विश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 एवं तदधीन बनाये गये नियम/परिनियम/अध्यादेश।
11- जल संस्थान	उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा अधिनियम 1984 की धारा 2(ग) तथा उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 50 के अधिन।

वित्तीय - विनियमावलियॉं

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पॉंच,छः	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
बजट मैनुअल	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेशों का संकलन	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
राज्य लेखा परीक्षा नियम संग्रह लेखा परीक्षा मैनुअल)2011	--	सरकारी विभागों,सार्वजनिक निगमों,सरकारी कम्पनियों,प्रतिष्ठानों,साविधिक प्राधिकरणों,पंचायती राज संस्थाओं,नगर पालिकाओं,नगरीय स्थानीय निकायों,सरकारी समितियों पर लागू।

परिशिष्ट ''ग''

(प्रस्तर-5.3 में सन्दर्भित)

शासनादेश संख्या आडिट -1892/दस-78-355(10) दिनांक 21 जून, 1978 द्वारा सम्प्रेक्षेय लेखाओं पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की दरें :-

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	05 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 2500.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर	रु० 100.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500.00

(ख) उप सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर	रु० 30.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75.00

(ग) विविध लेखाओं हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) कुल आय पर	0.75 प्रतिशत
(2) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75.00

(घ) विश्वविद्यालय की उप सम्परीक्षा हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000=00 या उसके अंश पर	रु० 30.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500.00

(च) शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दरें वही हैं जो सम्वर्ती सम्परीक्षा हेतु निर्धारित हैं।

(च) विशेष सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

एतदर्थ कोई दर निर्धारित नहीं है। सम्परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं लेखन सामग्री आदि का वास्वविक व्यय संस्था से वसूल किया जाता है।

परिशिष्ट ''घ''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

क्र०सं०	जनपद का नाम	जिला सम्परीक्षा अधिकारी, कार्यालयों का पता	दूरभाष संख्या
1	देहरादून	आयुक्त कर भवन, मसूरी बाई पास, रिंग रोड, देहरादून। 248001	0135-2744075
2	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद, हरिद्वार पिनकोड	01344-220955
3	टिहरी (गढवाल)	विकास भवन, नई टिहरी 249148	01376-232805
4	पौड़ी (गढवाल)	माल रोड, निकट एन0सी0सी0 कार्यालय, पौड़ी गढवाल 246001	01368-223477
5	चमोली	चमोली भवन,बस अडडे के पास, गोपेश्वर (चमोली)	01372- 251486
6	उधमसिंह नगर	पुराना कोषागार भवन किच्छा बाइपास रोड आकांक्षा शोरूम के पास रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)	05944-244807
7	नैनीताल	अपर डांडा हाउस,तल्लीताल, नैनीताल। पिनकोड-263001	05942-237781
8	अल्मोड़ा	गोविन्द आश्रम, रानीधारा मार्ग अल्मोड़ा। पिनकोड-263601	05962-233886
9	पिथौरागढ़	उपाध्याय भवन, टकाना रोड पिथौरागढ़। पिनकोड-262522	05964-22857

परिशिष्ट ''ड.''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :-

(1) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (सामान्य लेखा) कुमायूं।

(2) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (फार्म लेखा) कुमायूं।

राज्य स्तरीय कार्यालय :-

(1) लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उधमसिंह नगर।

परिशिष्ट ''च''

2012-13 में निस्तारित अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

जिला	31 मार्च 2012 को अवशेष आपत्तियों की संख्या		वर्ष में आरोपित आपत्तियां		वर्ष में निस्तारित आपत्तियां		वर्षान्त में अवशेष आपत्तियां	
	अनुच्छेद	पद	अनुच्छेद	पद	अनुच्छेद	पद	अनुच्छेद	पद
नैनीताल	7162	2057	19	0	0	0	7081	2057
चमोली	30247	487	0	0	0	0	30247	487
रूद्रप्रयाग	1347	105	0	0	0	0	1370	105
कृ0उ0म0 परिषद उधमसिंहनगर	768	0	361	0	122	0	1174	0
गो0ब0प0वि0वि0 (सामान्य लेखा)	2382	0	09	0	0	0	2391	0
पिथौरागढ	2095	0	27	0	0	0	2086	0
चम्पावत	719	70	06	0	0	0	686	0
हरिद्वार	15466	0	86	0	02	0	15606	0
देहरादून	14029	8203	54	02	0	0	14026	8027
हे0न0ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर	2463	2454	0	0	0	0	0	
गो0ब0प0वि0वि0 फार्म लेखा	1339	290	49	62	0	0	1388	352
वन विकास निगम	573	703	0	0	0	0	573	703
टिहरी गढवाल	8025	1199	117	0	0	0	9042	1199
पौडी	5226	0	323	0	93	0	5438	0
अल्मोडा	2639	107	54	0	73	0	2620	107
उधमसिंहनगर	5987	0	121	0	146	0	5962	0
नैनीताल	2266	364	82+4	0	0	2348	0	378

परिशिष्ट ''छ''

प्रान्तीय न्यासों की सूची

(प्रस्तर-11.1 में सन्दर्भित)

1- तारक जयन्ती, गोल्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, अल्मोडा।

2- पं0 ईश्वरी दत्त जोशी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ट, अल्मोडा।

3- पदमा जोशी फण्ड, अल्मोडा।

4- लक्ष्मी देवी मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, चम्पावत।

5- हरिनन्दन पुनेठा स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, चम्पावत।

6- विक्ट्रो मेमोरियल एक्स सोल्जर्स वेनीवोलेंट फण्ड, अल्मोडा।

7- नार्थ वेस्टर्न रेलवे स्कूल ट्रस्ट फेयरलोन, मसूरी।

8- राजकृष्ण विद्यावती छात्रवृत्ति विन्यास न्यास, देहरादून।

9- टी0सी0 मुकर्जी, होम्योपैथिक डिस्पेंसनरी एण्ड हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून।

10- स्टावेल मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

11- गढवाल सेनिटनरी स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

12- आर0 मिस्टिस डे एण्डाउमेंट ट्रस्ट यू0पी0, गढवाल।

13- गढवाल क्ले मैमोरियल स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, कर्णप्रयाग।

14- राय महावीर प्रसाद शाह बहादुर धर्मशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

15- चन्द्र बल्लभ मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

16- पं0 तारादत्त खंडूरी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

17- ठाकुर शालिग्राम सिंह परमार स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

18- गोविन्द पाठशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

19- विक्ट्री मैमोरियल गढवाली एक्स सिर्विसेजर वेनीबोलेंट फण्ड।

20- श्रीमती सुशीला काला, छात्रवृत्ति न्यास, रूद्रप्रयाग।

21- कुमाउ एण्ड भांवर कल्टिवेटर्स ट्रस्ट फण्ड, नैनीताल।

22- बच्चा सीडसइण्डिजेण्ट पापर ट्रस्ट फण्ड, हल्द्वानी।

23- रैमजे हास्पिटल ट्रस्ट, नैनीताल।

24- बांकेलाल बनवारी लाल हुण्डीवाले स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, नैनीताल।

25- राधेहरि स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, उधमसिंहनगर।

26- लाला चेतराम शाह ठुलगरिया एजुकेशन एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

27- राय साहब पं0 नारायण दत्त एवं देवीदत्त चिमवाल स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

28- श्री संकट मोचन हनुमान मन्दिर हनुमानगढ, नैनीताल।

29- श्री कैंची हनुमान तथा आश्रम ट्रस्ट, नैनीताल।

30- टामसन कालेज टेस्टोमोनियल फण्ड एण्डाउमेंट, रूडकी।

31- विजयानगरम स्कालरशिप इन टामस इंजीनियरिंग कालेज।

32- फेयरलो मैमोरियल फण्ड।

33- कैलकाट रैलो मैमोरियल फण्ड।

34- सुल्लीवान स्कालरशिप एण्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट ।

35- जनरल अप्रैन्टिस फण्ड, रूडकी वर्कशाप।

36- बैजनाथ स्कालरशिप फण्ड।

37- फ्रांसिस शैमियर स्कालरशिप फण्ड।

38- गंगादेवी स्कालरशिप एण्डाउमेंट।

39- सुशीला एण्ड जे मित्रा मैमोरियल सिल्वर मेडल फण्ड।

40- सदर डिस्पेंसरी फण्ड, रूडकी।

41- रामचन्द्र स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट।

42- गवर्नमेंट आरमन शैमियर हाईस्कूल ट्रस्ट फण्ड।

43- लाला पूरनमल सिल्वर मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

44- शीलप्रिया मैमोरियल (स्वीमिंग) ट्रस्ट।

45- श्रीमती सरस्वती बिष्ट स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोडा।

46- गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट, देहरादून।

केन्द्रीय न्यासों की सूची

(1) गढवाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि।

परिशिष्ट''ज''

(कार्यकारी खण्ड में सन्दर्भित)

नगर पालिका परिषदें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पालिका परिषद, विकासनगर	2010-11	0	0	31970	0	58613	190865	1075408	0	1356856
2	नगर पालिका परिषद, नई टिहरी	2010-11	0	431920	2148454	0	0	0	1100000	1396086	5076460
3	नगर पालिका परिषद, हरिद्वार	2009-10 से 2010-11	0	0	47817048	0	0	0	0	0	47817048
4	नगर पालिका परिषद, पौंडी गढवाल	2009-10 से 2011-12	0	741987	1574180	0	1827282	0	749000	15530107	20422556
5	नगर पालिका परिषद, श्रीनगर गढवाल	2009-10 से 2010-11	0	1809	8506294	1090465	0	233	0	2993215	12592016
6	नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर (चमोली)	2011-12	0	1691730	2791071	0	0	215832	40294	0	4738927
7	नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग	2011-12	0	6417442	2495243	0	0	321158	0	0	9233843
	योग		0	24554888	65364260	1090465	1885895	728088	2964702	19919408	101237706

नगर पंचायतें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताये	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमितताये	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पंचायत, हर्बटपुर	2010-11	0	1202100	1295125		209083	110610	0	0	2816918
2	नगर पंचायत, चम्बा	2010-11	0	237368	0	1780851	0	12538	67400	0	2098157
	योग		0	1439468	1295125	1780851	209083	123148	67400	0	4915075

कृषि उत्पादन मण्डी समितियां

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितातायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रामनगर	2011-12	0	0	0	0	3237906	0	0	0	3237906
2	कृषि उत्पादन मण्डी, समिति हल्द्वानी	2010-11 एंव 2011-12	0	0	173460	0	0	15300	0	0	188760
3	कृषि उत्पादन मण्डी, समिति देहरादून	2010-11	0	0	0	0	95447	92156	0	0	187603
	योग		0	0	173460		3333353	107456	0	0	3614269

कृषि विपणन बोर्ड, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित विविध अनियमितायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)	2012-13	0	3031480	0	0	1063539	0	0	0	4095019
	योग		0	3031480	0	0	1063539	0	0	0	4095019

विकास प्राधिकरण

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून	2009-10 एंव 2010-11	0	7786	0	0	0	0	0	0	7786
	योग		0	7786	0	0	0	0	0	0	7786

विश्व विद्यालय, सम्वर्ती सम्परीक्षा

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर	2006-07 एंव 2007-08	0	204761	0	0	3111706	0	319650	0	3636117
	योग		0	204761	0	0	3111706	0	319650	0	3636117

विश्व विद्यालय

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	2010-11	0	114321 205000000	131790	0	500000	0	4855526	0	210619106
	योग		0	205131790	131790	0	500000	0	4855526	0	210619106

मन्दिर समितियाँ

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्री 05 गंगोत्री मन्दिर समिति गंगोत्री	2009-10 से 2010-11	0	140034	0	0	0	0	0	0	140034
	योग		0	140034	0	0	0	0	0	0	140034

इंजीनियरिंग कालेज

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गोविन्द बल्लभ पन्त इन्जीनियरिंग कालेज घुड्दौडी, पौडी गढवाल	2008-09 से 2010-11	0	107609	1631212	0	0	2100	0	6748060	8488981
	योग		0	107609	1631212	0	0	2100	0	6748060	8488981

राष्ट्रीय सेवायोजना

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राष्ट्रीय सेवायोजना प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढवाल)	2007-08 से 2011-12	0	69385	0	0	0	0	0	0	69385
	योग		0	69385	0	0	0	0	0	0	69385

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ तायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोडा	2007-08 से 2011-12	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000
2.	जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर	2007-08 से 2011-12	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौडी गढवाल	2007-08 से 2011-12	0	0	0	0	0	3010	0	0	3010
	योग		0	0	0	50,000	0	3010	0	0	53010

सारांश

क्र० सं०	लेखे का नाम	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितातायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमितातायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नगर पालिका परिषदें	0	24554888	65364260	1090465	1885895	728088	2964702	19919408	101237706
2	नगर पंचायतें	0	1439468	1295125	1780851	209083	123148	67400	0	4915075
3	कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉं	0	0	173460	0	3333353	107456	0	0	3614269
4	कृषि विपणन बोर्ड, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)	0	3031480	0	0	1063539	0	0	0	4095019
5	विकास प्राधिकरण	0	7786	0	0	0	0	0	0	7786
6	विश्व वियालय, सम्वर्ती सम्परीक्षा	0	204761	0	0	3111706	0	319650	0	3636117
7	विश्व विद्यालय	0	205131790	131790	0	500000	0	4855526	0	210619106
8	मन्दिर समितियॉं	0	140034	0	0	0	0	0	0	140034
9	इंजीनियरिंग कालेज	0	107609	1631212	0	0	2100	0	6748060	8488981
10	राष्ट्रीय सेवायोजना	0	69385	0	0	0	0	0	0	69385
11	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	0	0	0	50000	0	3010	0	0	53010
12	योग	0	234687201	68595847	2921316	10103576	963802	8207278	26667468	352146488

भाग–2
(सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)

(1)	प्रशासनिक खण्ड		
क्र0सं0	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1	विभागीय प्राधिकार के स्रोत	1.1	1
2	सम्परीक्षाधीन लेखे	2.1–2.2	1
3	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	3.1–3.2	1–3
4	प्रभागीय आय–व्ययक	4.1–4.3	3
5	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	5	3
6	विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	6.1 से 6.3	4
7	सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	7	5
8	सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें	8	5
9	विशेष सम्परीक्षा प्रतिवेदन	9	6
10	निष्कर्ष	10	7
(2)	कार्यकारी खण्ड	–	8–35
(3)	परिशिष्ट क, ख, ग, घ व अन्य	–	36–53

1- विभागीय प्राधिकार के स्रोत-

1.1 उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम, 2003 की धारा 64 तथा उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम संख्या 223 से 242 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार कराये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 40 तथा पंचायत राज नियमावली, 1956 के नियम 186, 187 व 188 में ग्राम सभा, न्याय पंचायतों की लेखा परीक्षा कराने का प्रावधान है। उ०प्र० जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली, 1999 के नियम 2 के अनुसार जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायते प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था है।

2- सम्परीक्षाधीन लेखे-

2.1 वर्ष 2012-13 में सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं की संख्या 2757 और पंचायत राज संस्थाओं की संख्या 7525 थी। संस्थाओं के विवरण संलग्न **परिशिष्ट "क"** में दिये गये है।

2.2 सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के लिए संगत अधिनियम जिनके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट "ख"** में दी गयी है।

3- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य –

3.1 सम्परीक्षा का कार्य संस्था के वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व है। राज्य की सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सन्तुलन पत्रों की जांच एवं प्रमाणीकरण के साथ-साथ लेखा परीक्षा इस दृष्टिकोण से भी की जाती हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितनी सफल रही हैं और संस्था का सामान्य प्रशासन अधिनियम, नियमावली, उपविधियों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी राजाज्ञाओं तथा परिपत्रों के अनुसार ही संचालित किया जा रहा है। संस्थाओं की आर्थिक एवं सामान्य प्रशासन की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक, सहकारी समितियॉं द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थाओं का वर्गीकरण भी किया जाता है।

इसी प्रकार पंचायत राज संस्थाओं को दिये गये वित्तीय अनुदान आदि का उपभोग शासन द्वारा जारी निर्देशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरुप किया गया हैं अथवा

नही और इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही हैं अथवा नहीं, इसकी समीक्षा भी लेखा परीक्षा में की जाती है।

3.2 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप-

1- सम्परीक्षाधीन सहकारी समितियों व पंचायत राज संस्थाओं के विविध लेखाओं की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं एवं शासन को सूचित करना।

2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।

3- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।

4- सम्परीक्षित संस्थाओं (पंचायत संस्थाओं के अतिरिक्त) के वार्षिक आय-व्यय, रोकड पत्र एवं लाभ-हानि खाता का प्रमाणीकरण एवं सन्तुलन पत्र के अपवादों को लेखांकित करना।

5- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरुप सहकारी संस्थाओं को उनके कार्य परिणाम के आधार पर वर्गीकृत करना।

6- सहकारी संस्थाओं में नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप अशोध्य व संदिग्ध परिसम्पत्तियों का आंकलन करना।

7- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।

8- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उसे राजकीय कोषागार में जमा कराना।

9- सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं में अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरुपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिभार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को विशेष प्रतिवेदन निर्गत करना।

10- उपर्युक्त सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।

11- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों पर निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

4- प्रभागीय आय-व्ययक–

4.1- यह प्रभाग उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन हैं और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी सेवक है।

4.2- इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक बजट से, राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धनराशि प्राप्त होती है।

4.3- लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का एकमात्र स्रोत है। सम्परीक्षा समाप्ति के उपरान्त सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता हैं जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1977 से निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें **(परिशिष्ट 'ग')** उत्तराखण्ड राज्य में लागू है। अतः राजकीय कोष में अभिवृद्धि हेतु सम्परीक्षा शुल्क की दरों का पुनः निर्धारण शासन स्तर से किया जाना उचित होगा।

5- सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति-

वर्ष 2012-13 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी-

01 अप्रैल, 2012 को प्रारम्भिक अवशेष	रू0	7524929.00
वर्ष में अवधारित शुल्क धनराशि	रू0	(+) 5302312.00
	योग रू० -	12827241.00
वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजकीय कोष में जमा धनराशि रू0 –		(-)4789199.00
	31 मार्च, 2013 को बकाया रू०-	**8038042.00**

6- विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था-

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शा०सं० 5058/ वि०शा०स०/ 2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के नियन्त्रणाधीन कार्यरत हैं, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यत: द्वि-स्तरीय है।

(1) **मुख्यालय स्तरीय।**

(2) **जिला स्तरीय।**

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट** "घ" में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी हैं जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट** "घ-1" में दी गयी है।

6.1- मुख्यालय स्तर-

निदेशालय, लेखा परीक्षा (आडिट), मसूरी बाईपास, रिगं रोड़, देहरादून में स्थित है।

6.2- मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, लेखा परीक्षा अधिकारी ग्रेड-I,जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-7 में दिया गया है। जनपदों की प्रमुख संस्थाओं जैसे-राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, दुग्ध संघ, जिला सहकारी संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, सहकारी चीनी मिलें, सहकारी भेषज संघ आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा कार्य का पर्यवेक्षण एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

6.3- जनपद स्तरीय-

लेखा परीक्षाधीन इकाईयां राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। सभी 13 जनपदों में जनपदीय कार्यालय हैं जिनमें कार्यालयाध्यक्ष जिला लेखा परीक्षा अधिकारी है। इनके अधीन नियुक्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-I, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक व लेखा परीक्षक जनपदों में संस्थाओं की लेखा परीक्षा सम्पन्न करते हैं।

7- सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य-

वर्ष 2012-13 में 20.94 प्रतिशत कार्यरत लेखा परीक्षा कर्मियों से सम्परीक्षाधीन 10282 लेखाओं में से 1977 चालू व 1638 अवशेष वर्षो सहित कुल 3615 लेखाओ की सम्परीक्षा पूर्ण करायी गयी। सभी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं जिला सहकारी बैंकों, जिला सहकारी दुग्ध संघो की लेखा परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की गयी है।

8- सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें-

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में सम्परीक्षित लेखाओं में उदघाटित गम्भीर अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू० 7243.39 लाख की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्रमांक	शीर्षक	धनराशि
1-	व्यपहरण	64.04
2-	अनियमित/अधिक भुगतान	2300.14
3-	आर्थिक क्षति/राजकीय अनुदानों से संबंधित अनियमितता	1113.27
4-	दुरूपयोग/दुर्विनियोग	566.38
5-	गंभीर/विविध अनियमिततायें	3199.56
	योग	7243.39

9- विशेष सम्परीक्षा प्रतिवेदन-

लेखा परीक्षित संस्थाओं में गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति/गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली के नियम 233 के अनुसार निर्गत किये जाते है

10- निष्कर्ष-

वर्ष 2012-13 में 2757 सहकारी संस्थाओं एवं 7525 पंचायतराज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की जानी थी। सहवर्ग की कमी के कारण बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट व आयकर अधिनियम की धारा 44 ए०बी० में आने वाली संस्थाओं को वरीयता देते हुए 1676 सहकारिता एवं 1939 पंचायतों की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं की सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 09 में वर्णित रु0 7243.39 लाख की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयीं जिनमें व्यपहरण दुर्विनियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति आदि के प्रकरण समाविष्ट है।

आस्था लूथरा
(आस्था लूथरा)
निदेशक

कार्यकारी खण्ड

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वित्तीय वर्ष 2012-13)

वर्ष 2012-13 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे है।

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(आँकड़े लाखों में)

क्र०सं०	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि
1-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० नैनीताल	1053.04
2-	जिला सहकारी बैंक लि०	5639.81
3-	जिला भेषज संघ एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार	36.04
4-	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/समितियां	22.20
5-	सहकारी चीनी मिल एवं गन्ना सहकारी समितियां	118.75
6-	किसान सेवा/दीर्घा०/साधन सहकारी समितियाँ	358.93
7-	वेतन भोगी सहकारी समितियां	0.02
8-	ग्राम पंचायत	14.60
	योग	7243.39

वर्ष 2012-13 में सम्पन्न सम्परीक्षाऐं

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक नैनीताल (वर्ष 2011-12)

गंभीर अनियमितता

1- वर्ष 2011–12 में मुख्यालय एंव बैंक शाखाओं में 29 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है। लेखा परीक्षा में विदित रहा कि बैंक मुख्यालय द्वारा कर्मचारियों के नियुक्ति के लिये विज्ञप्ति जारी न कर उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति अधिनियम धारा 122 का उलंघन किया गया है। अतः नियुक्ति प्रक्रिया संदिग्ध है।

2- बैंक मुख्यालय द्वारा रु0 6,34,966.00 प्रशिक्षण एंव शैक्षणिक भ्रमण पर खर्च किया गया प्रमाणकों में भ्रमण टिप्पणी उपलब्ध नहीं है। व्यय की उपयोगिता शून्य रही।

3- दीर्घकालीन ऋण शाखाओं के सदस्यों की बैंक के पक्ष में रखी बंधक भूमि का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

4- 31.03.12 को रू0 860.99 लाख रूपया रक्षित कोष और रू0 118.5 कृषि स्थिरता कोष सृजित है। निधियों के सापेक्ष विनियोजन तारांकित नही किया गया है।

अधिक अनियमित भुगतान

1- रू0 48,00,000.00 का ऋण प्रोपर्टी के विरूद्ध बिना निबन्धक सहकारी समितियों के स्वीकृति के प्रदत्त किया जाना नियमावली के 208(1) के विरूद्ध रहा।

2- बाजपुर शाखा में सदस्यों पर लगा ऋण रू0 7,32,19,711.62 दर्शित है। विवरण पत्र में रू0 7,21,73,662.00 है। अंतर रू0 10,46,049.62 से पूंजी पक्ष प्रभावित रहा है।

3- ऋण शाखा बाजपुर सदस्यों का जमा अंश धन रू0 87,90,100.00 दर्शित है। कार्यविवरण पत्र में रू0 79,17,300.00 अंकित है। इस प्रकार रू0 8,73,500.00 से संतुलन पत्र प्रभावित रहा।

नैनीताल जिला सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी 2011–12

व्यपहरण

1. शाखा भीमताल विस्तार पटल उपभोक्ता ऋण में 31.3.12 तक पत्रावलियों में हेरा फेरी कर रू0 33,82,562.00 का अनियमित रूप से हस्तान्तरण कर आहरण किया गया।

दुर्विनियोग

1. बैंक द्वारा रू0 17.66 लाख रूपया निजि बैंकों में विनियोजित किया है। जो निर्धारित 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक रहा।

आर्थिक क्षति

1. बैंक विनियोजन में गत वर्ष की अपेक्षा रू0 4.06 प्रतिशत का ह्रास रहा। रू0 1108.22 लाख राशि नकद व चालू खातों में निष्क्रिय रही।

अधिक/ अनियमित भुगतान

1. कुल ऋण रू0 20,114.08 लाख मध्ये रू0 2140.21 लाख अशोध्य/संदिग्ध आंकलित है। जो लगे ऋण का रू0 10.49 प्रतिशत है जबकि 5 प्रतिशत से अधिक पर दायित्व निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।

ऊधमसिहं नगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि०रूद्रपुर

ले०प० वर्ष 2011-12

व्यपहरण

1- शक्तिफार्म शाखा में तत्कालीन कार्यरत शाखा प्रबन्धक द्वारा 24 दिन तक रू0 1,54,400.00 का तदर्थ अपहरण के ब्याज की वसूली अपेक्षित रही

2- किच्छा शाखा में तत्कालीन शाखा प्रबन्धक श्री श्रीवास्तव से अपहृत राशि रू0 26,57,143.79 की वसूली की गई है परन्तु ग्रेच्युटी रूल्स सैक्शन–3 क्रमांक 11 का उल्लघंन करते हुए बैंक द्वारा ग्रेच्युटी का समायोजन अपहरण राशि में करना पूर्ण रूप से अनियमित रहा। शेष रू0 9,40,671.79 की वसूली की जानी अपेक्षित रही।

राजस्व हानि-

1-बैंक मुख्यालय द्वारा अपने अधिकारियों एंव कर्मचारियों को भवन ऋण दिया गया है परन्तु ऋणियों से एक्यूटेबिल मोटिग्रेट कराते समय स्टाम्प शुल्क @0.50 प्रतिशत की दर से उगाही न कर रू0 50,150.00 की राजस्व ,क्षति पहुंचाई गई है।

दुर्विनियोग-

1.दिनांक:31.03.11 को बैंक में रू0 8,26,093.86 स्टेशनरी स्टाक शेष था वर्ष 2011-12 में रू0 74,6,863.00 की स्टेशनरी क्रय की गई जिसके सापेक्ष वर्ष के दौरान रू0 8,07,456.96 की स्टेशनरी उपयोग में लायी गयी इस प्रकार दिनांक: 31.03.12 को रू0 7,65,499.10 की स्टेशनरी का स्टाक उपलब्ध होते हुए भी अतिरिक्त स्टेशनरी क्रय कर बैंक के धन का दुरूपयोग किया गया है।

अन्य विविध:-

1.वर्ष 2011-12 में आई०सी०डी०पी० अनुदान रू0 08.50 लाख को अनियमित रूप से लाभ-हानि खाते में क्रेडिट कर बैंक का लाभ त्रुटिपूर्ण दर्शाया गया है।

2.बैंक द्वारा रू0 1600 लाख का ग्रामीण गोदाम हेतु प्राविधान को सन्तुलन पत्र में करंट डिपोजिट/संडी क्रेडिटर्स में न दर्शाकर निधि में अन्तरण किया गया है जो नियमों के प्रतिकूल है।

3. बैंक द्वारा वर्ष में एन०पी०ए० रू0 1930.33 लाख आंकलित किया गया है इसमें शाखा से सम्बन्धित विभिन्न समितियों की इनबैंलेस की राशि रू0 101.42 लाख को सम्मिलित न कर एंन०पी०ए० कम दर्शाया गया है जिसके सापेक्ष लाभ हानि खाते एवं संतुलन पत्र में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

जिला सहकारी बैंक लि० अल्मोडा वर्ष 2011–12

दुर्विनियोग

1. वर्ष 1992–93 में यू०पी०सी०बी० लखनऊ की अध्यक्षता में बने कन्सोंटियम व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक द्वारा विनियोजित की गयी धनराशि का ब्याज रू0 4,69,38,151.74 गत वर्षों से यथावत् संतुलन पत्र में ब्याज पावना की मद में दर्शाया गया है। बैंक द्वारा वसूली हेतु ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है।

गंभीर अनियमितता

1 विगत वर्षों की भांति दिनांक 31.03.2012 को भी निम्न बैंक शाखाओं के संतुलन पत्र एंव बैलैन्स बुक में अन्तर पाये गये, जिससे बैंक को रू0 3,93,234.62 की हानि होनी

स्पष्ट है। बैंक मुख्यालय द्वारा इस हानि की छानबीन करवाये जाने हेतु कोई दायित्व सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों का निर्धारण नहीं किया गया है।

<u>अधिक/अनियमित भुगतान</u>

1 बैंक शाखा कौसानी के पीएल वाउचर संख्या 41 दिनांक 1.10.11 द्वारा रू0 33729 का व्यय दर्शाकर पीएल खाता डेविट किया गया है जिसमें से उक्त प्रमाणकों में निम्न कमियां पायी गयी!

(1) प्रमाणक के साथ संलग्न बिल संख्या 1/30 तुलसी गेस्ट हाउस सर्वोदय रेस्टोरेन्ट मेन मार्केट कौसानी को रू0 300 प्रति कमरें की दर से तीन व्यक्तियों के ठहरने हेतु तीन कमरों का किराया रू0 900.00 का भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नही होती वसूली अपेक्षित है।

(2) वर्णित गेस्ट हाउस के बिल सं० 304 दिनांक 07.09.11 के द्वारा 89 दिन का खाना दर रू0 125.00 प्रति डाइट से रू0 11,125.00 का भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नही होती वसूली अपेक्षित है।

(3) प्रमाणक में संलग्न पाण्डे टैन्ट हाउस एण्ड इलैक्ट्रिकल्स के बिल 3/108 को भुगतान राशि रू0 3000.00 भी लेखा परीक्षा में पुष्टित नहीं। वसूली अपेक्षित है।

(4) वाउचर संख्या 06 दिनांक 6.09.11 द्वारा रू0 1935.00 का भुगतान श्री मोहन सिंह राजकीय ठेकेदार को शाखा के उद्घाटन बोर्ड/पट की चिनाई हेतु किया गया है जिसमें एक मैसन 2 रू0 300.00 प्रति, लेबर रू0 200.00 प्रति की दर से तथा एक बैग सिमेन्ट रू0 300.00 प्रति बैग 7 बैग रेता रू0 75.00 प्रति बैग तथा 82 ईट दर रू0 5.00 प्रति ईट की दर से कुल रू0 1935.00 भुगतान किया गया है जबकि उक्त उद्घाटन पट शाखा की दिवार में मात्र 4 फिट 2-1/2 की माप में चिनाई गयी है। विभागीय अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कर जे०ई० आर०ई०एस० से मूल्यांकन कराने के उपरान्त जो वास्तविक धनराशि बने उसका समायोजन करते हुए शेष राशि की वसूली अपेक्षित है।

(5) बिल बुक सं० 305/7,8,9 द्वारा रू0 4800.00 का भुगतान तुलसी गैस्ट हाउस सर्वोदय रेस्टोरेन्ट को रूम नं० 201,202,203 में निम्न व्यक्तियों को ठहरने हेतु शाखा द्वारा भुगतान किया गया है।

1. श्री आनंद शुक्ला ए०आर०सी०एस० 1600.00
2. श्री पान सिंह मावडी अध्यक्ष बैंक 1600.00

3. श्री जीवन सिंह बीमा प्रतिनिधि 1600.00

अतः उक्त अधिकारियों के ठहरने की पुष्टि हेतु उक्त तिथि में उनके द्वारा प्रयुक्त वाहन एंव ड्राईवर का यात्रा देयक बिल भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा भुगतान अनियमित है।

अधिक/अनियमित भुगतान

1 बैंक शाखा भिकियासैंड़ द्वारा दिनांक 31.03.12 को दिनांक 19.02.11 से 13.02.12 तक शाखा जनरेटर खराब होने के कारण बाजार से किराये पर लिये गये जनरेटर का किराया रू0 22800.00 भुगतान किया गया इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां है।

(1) प्रशासनिक कमेटी की बैठक दिनांक 19.03.12 के प्रस्ताव संख्या 05 अनुसार मुख्यालय पत्रांक 2678 दिनांक 26 मार्च 2012 द्वारा व्यय उपरान्त विलम्ब से स्वीकृति दी गयी जो संदिग्ध हैं। अतः रू0 22800.00 की वसूली तत्कालीन शाखा प्रबन्धक एंव सचिव महाप्रबन्धक से की जाय।

(2) दिनांक 29.09.11 को दिनांक 25.07.11 से 24.08.11 तक 30 दिनों का किराया मु0 400.00 प्रति दिन से रू0 12000.00 भुगतान किया गया जिसमें 07 दिन बैंक बन्द था। इस बिल की स्वीकृति मुख्यालय पत्रांक 1459 दिनांक 19 सितम्बर 2011 से ली गयी। यह तिथि दिनांक 19.02.11 से 13.02.12 के बिल रू0 22800.00 में भी सम्मिलित है। अतः रू0 12000.00 का अतिरिक्त भुगतान हुआ है जिसकी वसूली तत्कालीन शाखा प्रबन्धक से की जाय।

गंभीर अनियमितता

1 लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि बैंक शाखा भिकियासैंड़ को मुख्यालय पत्रांक 255 दिनांक 3 मई 2012 द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु रू0 9000.00 प्रतिमाह जनरेटर किराये पर भवन स्वामी श्री पान सिंह मावडी तत्कालीन अध्यक्ष/प्रशासक से लिया गया। उक्त हेतु विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी, जो बैंक हित में नहीं है। पत्रावली से स्पष्ट होता है कि बैंक प्रबन्धक द्वारा श्री मावडी को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की गयी।

अधिक/ अनियमित भुगतान

1.बैंक शाखा मुख्यालय पत्रांक 853 दिनांक 24 जून, 11 द्वारा शाखा नंदा देवी में श्रीमती मंजरी बंसल की रू0 20.00 लाख की ऋण सीमा 1.6.11 से 3.5.12 तक स्वीकृति की गयी उक्त के संबंध में निम्न अनियमितताऐ पायी गयी।

(क) बिक्रीकर में फर्म पंजीकृत होने तथा बीमा होने की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं होती है।

(ख) संबंधित फर्म का स्टाक स्टेटमेन्ट मुख्यालय पत्रांक 7970 दिनांक 12.07.07 के अनुसार तिमाही नहीं लिया गया है। मात्र 31.03.12 का स्टाक स्टेटमेन्ट पत्रावली में पाया गया।

(ग) संबंधित की आहरण शक्ति रू0 12.50 लाख से अधिक ऋण लगा रहा जो कि आपत्तिजनक है।

दिनांक	लगा ऋण
14.09.11	1503359.71
22.09.11	1871700.71
14.10.11	1917700.71

8. बैंक शाखा कौसानी के सी0डी0ए0ल0 खाता संख्या 1 दिनांक 14.10.2011 को श्री वेकन्ना रेड्डी पुत्र श्री राघव रेड्डी को रू0 2,00,000.00 का लोन अग्रिम किया गया है जबकि श्री रेड्डी का वेतनखाता भी बैंक शाखा में नहीं है। इस प्रकार किया गया ऋण अनियमित है।

<u>जिला सहकारी बैंक लि० कोटद्वार(गढवाल) वर्ष 2011–12</u>

<u>राजस्व क्षति</u>

<u>(1) बैंक शाखा नैनीडाण्डा में भवन ऋण हेतु निम्न ऋणियों से स्टाम्प ड्यूटी नही ली गई सर्व श्री रतनलाल पुत्र श्री कुन्दनलाल रू0 11.00 लाख पर माया देवी/हसकेष सिंह रू0 6.00 लाखपर नन्दन सिंह शाह रू0 12.00 लाख पर</u> @ 0.50/ क्रमश: रू0 5500.00 रू0 3000.00, रू0 6000.00, रू0 14500.00 स्टाम्प ड्यूटी नही ली गई, जिसके लिए शाखा व्यवस्थापक श्री महिपाल सिंह उत्तरदायी हैं।

<u>व्यपहरण</u>

(1) दिनांक 07/04/11 को शाखा थलीसैंण में ट्रांसफर डेविट प्रमाणक के अनुसार संदीप कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह गगान के बचत खाता सं0 4884 से श्रीमती उभगा देवी पत्नी श्री खुशाल सिंह के खाता सं0 5230 के क्रेडिट प्रमाणक के द्वारा 40000.00 ट्रांसफर किये गये। खण्ड शिक्षा अधिकारी थलीसैंण के पत्रांक सं0 मेमो/12 लेखा/ई0426 के अनुसार उपरोक्त धनराशि निर्बल आवास ऋण योजनान्तर्गत लाभार्थी उभगा देवी के आवास निर्माण से सम्बन्धित थी जिसे लाभार्थी के खाता संख्या 2318 बन्द होने के कारण उनके

खाता में जमा नहीं किया गया यदि उपरोक्त खाता बन्द हो गया था तो राशि को सन्ड्री खाते में डाला जाना चाहिए था ऐसा ना करके संदीप के खाते में धनराशि जमा दर्शित कर संदीप को अनियमित रूप से लाभ पहुंचाया गया जिस हेतु शा0प्रब0 श्री प्रेम सिंह गगन उत्तरदायी हैं।

(आ0सं0-11)

(3) बैक शाखा थलीसैंण की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दि0 18/05/11 को बिन्देश्वर स्वंय सहायता समूह खाता सं0-15 में लगे ऋण रू0 2,76,160.00 की वसूली निम्न प्रकार लेखांकित की गई-

S.H.G. A/C NO. से प्राप्त 6160.00

अनुदान से समायोजन 2,70,000.00

योग- 2,76,160.00

(I) स्वंय सहायता समूह कुठोथ खाता सं0-8 से रू0 6160.00 को अनियमित रूप से डेविट कर बिन्देश्वर सहायता समूह खाता सं0-15 को क्रेडिट किया गया।

(II) रू0 2,70,000.00 अनुदान का अनियमित रूप से ऋण में समायोजन किया गय जिस हेतु शा0प्रब0 श्री प्रेम सिंह गगान उत्तरदायी हैं।

अधिक/अनियमित भुगतान

(4) बैंक शाखा थलीसैंण में रामसिंह रावत को एन0एस0सी0 ऋण खाता सं0-1 में दि0 31/03/12 को रू0 1,83,630.00 ऋण लगा है। उक्त में रू0 50,000.00 के 10 किसान विकास पत्र बन्धक पाये गये जिनकी परिपक्वता अवधि 30/01/13 है। बन्धक विकास पत्र की परिपक्वता राशि रू0 1 लाख से खाते में लगा ऋण आच्छादित नहीं होता उक्त के लिए शा0प्रब0 श्री प्रेम सिंह गगान उत्तरदायी है।

पिथौरागढ जिला सहकारी बैंक लि० पिथौरागढ (वर्ष 2011-12)

अधिक/अनियमित भुगतान

(1) बैक शाखा बाराकोटा के चालू खाता सं0-999 में रू0 59471 जमा धन से अधिक अनियमित भुगतान किया गया। (सा0आ0सं0 297)

व्यपहरण

(2) बैंक मुख्यालय द्वारा दिनांक 15/03/12 को रू0 14965.00 खारिज किया गया, किन्तु स्टेशनरी खरीद को स्टॉक में दर्ज न कर व्यपहरण किया गया। (सा0आ0सं0 04)

गंभीर अनियमितता-

(3) दिनांक 31/03/12 को बैंक शाखाओं के जनरल लेजर एंव बैलेन्स बुक में रू0 288615.43 का अन्तर रहा।
(सा0आ0सं0 07)

टिहरी गढवाल जिला सहकारी बैक लि0 नई टिहरी (वर्ष 2010-11)

गंभीर अनियमितता-

1. बैंक की 14 शाखाओं की बैलेंश बुकों एंव सामान्य खातों में विशेष में रू0 6,19,800 तथा ऋण में रू0 6,49,735 के अंतर पाए गयें।

2.बैक कर्मचारियों/अधिकारियों को एक ही कार्य हेतु रू0 62,91,703 अनुग्रह राशि तथा रू0 23,89,044 एक्स ग्रासिमा भुगतान किया जाना अनियमित था।

3.बैंक की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन किए बिना अनियमित रूप से रू0 6,05,237 की सामग्री की गयी।

4.बैंक की विभिन्न शाखओं में बचत खातों में रू0 59,123 जमा धन से अधिक अनियमित भुगतान किया गया।

कुमांऊ सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा 2011-12

अधिक/अनियमित भुगतान-

1. गत वर्ष की आपत्ति संख्या 22 के अनुसार संस्था की गनियाद्योली स्थित भूमि पर पर्यटक आवास गृह एंव बैम्बोहट निर्माण हेतु न्यूनतम कोटेशन के आधार पर क्रमशः श्री प्रताप सिंह बिष्ट को रू0 27.03 लाख तथा श्री अरविन्द सिंह को रू0 9.00 लाख के कार्यादेश निर्गत किये गये। उक्त की पत्रावली की जांच पर निम्न कमियां पायी गयी।

(1) आईसीडीपी के पंत्राक 488-95 दिनांक 18.3.11 द्वारा गठित कमेटी में आईसीडीपी प्रबन्धक अवर अभियन्ता, संस्था सचिव, अपर जिला सहकारी अधिकारी को सम्मिलित किया गया।जबकि शासन के अधिप्राप्ति सम्बन्धी शासनादेश सं0 195 दिनांक 13.05.08 का अनुपालन नहीं किया गया।

(2) चैक संख्या 0322525 दिनांक 18.03.11 द्वारा श्री प्रताप सिंह को रू0 08.00 लाख तथा चैक संख्या 0322526 दिनांक 18.03.11 द्वारा श्री अरविन्द सिंह को रू0 2.70 लाख का भुगतान किया गया परन्तु आयकर अधिनियम की धारा 194(सी) अनुसार ठेकेदारी पर रू0 20,000.00 से अधिक के कार्य कराये जाने पर 2 प्रतिशत आयकर कटौती तथा 12 प्रतिशत सरचार्ज किये जाने का अनुपालन नहीं किया गया।

2. आई0सी0डी0पी0 के पत्र संख्या 488-95 दिनांक 18 मार्च 2011 द्वारा कुमांऊ सहकारी संघ के प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 8.7.10 के क्रम में पर्यटक आवास गृह (रू0 27.03 लाख) व वैम्बो हट (रू0 9 लाख) हेतु समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न को सम्मिलित किया गया।

1. महा प्रबन्धक, आई0सी0डी0पी0
2. अवर अभियन्ता/विकास अधिकारी आई0सी0डी0पी0
3. सम्बन्धित समिति सचिव, सदस्य, संयोजक
4. सम्बन्धित समिति अध्यक्ष

5.अपर जिला सह0अधिकारी।

उक्त कार्य का भुगतान गठित समिति की संस्तुति तथा अवर अभियन्ता के मेजरमेन्ट के आधार पर किया जाना था। पर्यटक आवास गृह हेतु कार्यादेष श्री प्रतापसिंह बिष्ट एंव वैम्बो हैट हेतु श्री अरविन्द सिंह को दिये गये। उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पायी गयी।

आई0सी0डी0पी0 के पत्र संख्या 488-95 दिनांक 18 मार्च 2011 अनुसार कार्य गठित समिति के माध्यम से किया जाना चहिए था। गठित समिति ने ही ठेकेदारों से अनुबन्ध करना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर अनुबन्ध संस्था सचिव तथा सम्बन्धित ठेकेदारों के मध्य कराया गया जबकि समस्त भुगतान आई0सी0डी0पी0 के माध्यम से किया जा रहा है।

वर्ष दौरान सम्बन्धित ठेकेदारों को निम्नानुसार द्वितीय/तृतीय किस्त का भुगतान निम्नानुसार किया गया।

दिनांक 18.04.11 चैक सं0 0123555 रू0 270000.00

दिनांक 23.05.11 चैक सं0 0123560 रू0 260000.00

आयकर अधिनियम की धारा 194(सी) अनुसार ठेकेदारी पर रू0 20,000.00 से अधिक के कार्य कराये जाने पर 2 प्रतिशत आयकर कटौती तथा 12 प्रतिशत सरचार्ज किये जाने का अनुपालन नहीं किया गया।

साथ ही उक्त कार्य की निर्धारित अवधि अगस्त 2011 निर्धारित की गयी थी परन्तु लेखा परीक्षा तिथि तक भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

सचिव कुमांऊ सहकारी संघ द्वारा पत्र सं0 44-45 दिनांक 9-9-11 को सम्बन्धित ठेकेदारों को पत्र लिखकर कार्य पूर्ण न किये जाने पर स्पष्टीकरण देने हेतु लिखा गया। पत्र संख्या 79-81 दिनांक 6.1.12 से श्री अरविन्द सिंह एंव पत्र संख्या 82-84 दिनांक 06.01.12 से श्री प्रताप सिंह ठेकेदार को पुन: नोटिस भेजा गया जिसके प्रति उत्तर में श्री प्रताप सिंह द्वारा लिखा गया कि कार्य प्रगति के विषय में जानकारी कार्यदायी संस्था के अभियन्त्रण विभाग से ही प्राप्त कर सकते है। तदोपरान्त समिति सचिव द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 88 दिनांक 10.02.12 द्वारा अवर अभियन्ता आई0सी0डी0पी0 को ठेकेदारों के मध्य अनुबन्ध की समय सीमा के उल्लंघन के सम्बन्ध में अपने स्तर से नोटिस जारी करने बावत पत्र लिखा गया। जिसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा अवधि तक भी कोई कार्यवाही किये जाने की पुष्टि नहीं होती है साथ ही कमेटी द्वारा समय सीमा अन्तर्गत कार्य न करने पर सम्बन्धित ठेकेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही किये जाने की पुष्टि भी लेखा परीक्षा में नहीं होती है।

<u>खटीमा अनुसूचित जनजाति सहकारी संघ लि० खटीमा, (ले०प० वर्ष 2011–12)</u>

<u>अपहरण:-</u>

1.समिति के संतुलन पत्र में श्री हेम चंद्र पन्त से अंकन रू0 2023.51 का पावना दर्शित है जबकि अभिलेखों की जांच पर उक्त राशि अंकन रू0 3023.51 होती है अत: धनराशि रू0 1000.00 की वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

दुग्ध संघ, चम्पावत-

आर्थिक क्षति

(1) संघ की टैंकर गाड़ी यू0ए0 03-0053 रू0 250942.00 मूल्य का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी डैड स्टाक के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में दिखाया जाना अनियमित है।

गंभीर अनियमितता

2.दुग्ध संघ में भवन निर्माण पर यू0सी0डी0एफ0 को रू0 265222.00 निगरानी व सेवाओं पर व्यय को भवन मूल्य में सम्मिलित किया जाना अनियमित है।

दुग्ध समिति भूढ़ा नैनीताल 2011-2012

व्यपहरण

1 वर्ष में दुग्ध खरीद 8.64 लाख रू० के सापेक्ष वर्ष की दुग्ध बिक्री 8.01 लाख ही की गई। स्थिति स्पष्ट करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाय।

दुग्ध समिति सोंप कठानी नैनीताल 2011-2012

आर्थिक क्षति

1 दिनांक 31.03.12 को अवशेष पशु आहार स्टाक 5 बैग कम दर्शाया गया। जिसका मूल्य रू० 2550.00 की वसूली सचिव से अपेक्षित है।

दुग्ध समिति बूढा धूरा नैनीताल 11-12

गंभीर अनियमितता

1 दिनांक 31.03.12 को पूर्व अध्यक्ष से पाना रु० 1195.43 विगत वर्ष की भांति यथावत दर्शित है। वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

व्यपहरण

1.संतुलन पत्र में 31.3.12 को पूर्व वर्षों का लाभ रू0 7195.78 के स्थान पर रू० 1995.78 दर्शा कर अन्तर रु० 5200.00 को वर्ष के लाभ हानि खाते में आय शीर्ष में दर्शा कर तथा सचिव अमानत रू0 5200.00 भुगतान दर्शित कर खारिज किया गया। जिसकी वसूली अपेक्षित है।

दुग्ध समिति सिल्मोडिया नैनीताल 2011–12

गंभीर अनियमितता

1 वर्षान्त में अध्यक्ष से अग्रिम का पावना रू० 15000.00 दर्शित है जिसकी अविलम्ब वसूली की जाय।

दुग्ध समिति खुर्पाताल नैनीताल 2011–12

व्यपहरण

1. दिनांक 2.6.11 को बैंक बचत खाते से रू० 5266.00 अन्तरण से आहरित किया गया है जिसकी प्रविष्टि समिति कैश बुक में नहीं की गई है। स्थिति स्पष्ट करते हुये दायित्व नियत कर कार्यवाही की जाय।

दुग्ध समिति जलाल गॉव नैनीताल 2011–12

व्यपहरण

1. वर्ष में दुग्ध मूल्य रू० 653.00 कैश बुक में अधिक खारीज किया गया है। जिसकी प्रतिपूर्ति सचिव से की जाय।

दुग्ध समिति सिमायल रैक वाल नैनीताल 2011–12

गंभीर अनियमितता

1. दिनांक 31.03.12 को आर०आर०बी० बैंक जमा रू० 25915.00 से कम पुष्टित रहा। जिसका समाधान किया जाय अन्यथा दायित्व नियत कर वसूली की जाय।

दुग्ध समिति पिचुवा खेडा नैनीताल 11–12

गंभीर अनियमितता

1 वर्ष में रू० 1325000.00 बिग डेरी ऋण तथा रूO 135000.00 मिनी डेरी अन्तर्गत ऋण वितरण किया गया सदस्य को अधिकांस नकद आहरण कर ऋण वितरण किया गया जो नियमानुसार नही रहा।

व्यपहरण

2.दिनांक 13.04.11 को सचिव श्री प्रदीप मेवाड़ी को रु० 50000.00 अग्रिम दिया गया। यह राशि दि० 31.03.13 को कैश बुक में वापस दर्शित है। सचिव द्वारा रू० 50000.00 को लम्बे समय तक अपने पास रख कर समिति को ब्याज की राशि की हानि पहुंचाई गई।

दुग्ध समिति सावल्दे नैनीताल 2011–12

व्यपहरण

1. समिति संतुलन पत्र में पूर्व सचिव से पाना रू० 22088.13 गत वर्षों की भांति यथावत दर्शित हैं। वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति गुनाईखोला (2004-05 से 11-12) अल्मोड़ा

गंभीर अनियमितता

1.वर्ष 2006-07 में दुग्ध उत्पादकों को भुगतान नक्शा आय व्यय में रू0 111645.23 दर्शित है जबकि कैशबुक व लेजर अनुसार रू0 103645.47 दर्शित है। रू0 8000 की वसूली अपेक्षित है।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति नईज्योली अल्मोड़ा (2010-11 से 2011-12)

व्यपहरण

1.वर्ष 2010-11 में कैशबुक पृ0 24 में अन्तिम शेष रू0 603.87 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा अनुसार रू0 1805.89 होता है। अन्तर राशि रू0 1202.02 की वसूली योग्य है।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति माइम अल्मोड़ा (2004-05 से 2011-12)

गंभीर अनियमितता

1.वर्ष 2008-09 में स्थानीय बिक्री सामान्य खाता अनुसार रू0 10,998.79 की हुई है परन्तु आय व्यय के पत्र में रू0 9398.79 दर्शाया गया है। अन्तर राशि रू0 1600.00 से संस्था रोकड़ प्रभावित की गयी है। कमी की वसूली की जाय।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति नौघर अल्मोड़ा (2010-11 से 2011-12)

व्यपहरण

1. दुग्ध भुगतान पंजिका अनुसार दिनांक 1.8.11 से 31.8.11 तक कुल रू0 23991.46 भुगतान किया गया है जबकि कैशबुक से 27715.70 भुगतान किया गया है। अन्तर राशि रू0 3724.24 की वसूली सम्बन्धित से की जाय।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति खरसौं अल्मोड़ा (2010-11 से 11-12)

दुर्विनियोग

1.वर्ष 2010-11 में कुल फुटकर व्यय अन्तर्गत रू0 12750.00 लाभहानि खाते में दर्शाया गया है जबकि इस शीर्ष में रू0 9500.00 की आलमारी क्रय को सम्मिलित किया गया है। रू0 9500.00 को स्टाक में दर्शाया जाना अपेक्षित था।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति तुलेड़ी अल्मोड़ा (2010-11 से 11-12)

आर्थिक क्षति

1.वर्ष 2010-11 में दुग्ध व्यवसाय से मात्र रू0 1458.00 सकल लाभ कमाया गया जबकि वेतन के मद में सचिव द्वारा रू0 17614.00 भुगतान प्राप्त किया गया दूध व्यवसाय से संस्था को लाभ के स्थान पर हानि रही अतः संपूर्ण राशि रू0 17614.00 की वसूली अपेक्षित था।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पोखरी अल्मोड़ा (2010-11 से 11-12)

व्यपहरण

1.कैश बुक पृष्ठ संख्या 93 पर 31.8.11 को पूर्व वेतन दिखा कर रू0 17081.00 रोकड खारिज किया गया हैं जबकि पूर्व संतुलन पत्र में उक्त राशि रू0 5041.00 दर्शायी गयी थी अन्तर राशि रू0 12040.00 की जांचोपरान्त वसूली अपेक्षित है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स बाजपुर (लेखा परीक्षा वर्ष 2004–05 से 07–08)

अनियमित भुगतानः-

1.सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना 404.20 कु०भूसी का मूल्य रू0 70330.80 अधिक भुगतान अनियमित रूप से फर्म को किया गया।

2.136 मीटर कन्वेयर बैल्ट क्रय हेतु नियमानुसार कार्यवाही न कर अंकन रू0 1,97,200.00 का अनियमित भुगतान कर मिल को उक्त राशि से क्षति पहुंचाई गयी है।

3.पी०पी०कैप्स क्रय हेतु नियमानुसार कार्यवाही न कर मै०बाबा मैटल्स को अंकन रू0 13,03,200.00 का भुगतान अनियमित रूप से किया गया है।

4.फौरमैन द्वारा मनमाने ढंग से बिना टैंडर आमंत्रित के अंकन रू0 1,21,794.00 का भुगतान पप्प क्रय हेतु फर्म को किया गया है जो कि अनियमित है।

5.क- सैन्टरीफयूगल सिस्टम मेरठ को एक टन कैपिसिटी सैन्टीयूजन मशीन को सुचारू रूप से चलाने हेतु अंकन रू0 3,235,06.00 का भुगतान किया गया परतुं डिलीवरी से पूर्व अंकन रू0 2,03,224.00 का भुगतान अनियमित रूप से सम्बन्धित फर्म को किया गया है जिस हेतु तत्कालीन प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है।

ख-अंकन रू0 76,026.00 की वसूली सम्बन्धित फर्म से किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त की वसूली एंव विधिक व्यय यात्रा व्यय सहित वसूल किये जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व निर्धारित किया जाये।

विविध अनियमितता:-

1-अंकन रू0 35,000.00 एस०बी०आई० बाजपुर में निरीक्षण में पाई गयी कमी के कारण मिल कोष से जमा किया गया जबकि उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से उक्त धनराशि वसूल की जानी थी।

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स सितारगंज (लेखा परीक्षा वर्ष 2010–2011)

अपहरण:-

1-मिल समिति में दिनांक:15.01.11 व्यय खाता 155 मेडिकल बिल वर्ष 2004–05 रू0 2,28,850.00 जनरल प्रमाणक 441–74 एडजेस्टमेंट रिलेटिंग प्रीवियर्स इयर एडवांस फार एक्सपेनसेविस से किया गया भुगतान देय नहीं है।

2.मिल समिति की स्टोर इन्चेटरी वर्ष 2010–11 में दिनांक: 31.03.11 को मिल स्तर की कमेटी द्वारा सत्यापन में कमी रू0 0.08 लाख वसूली अपेक्षित है।

3.मिल समिति में डिटेल आफ मैटेरियल गिबन आन लोन टू स्टाफ फार द इयर 2010–11 मध्ये रू0 00.41 लाख की वसूली होनी है।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1-दिनांक:06.04.2010 रेट एण्ड टैक्स खाता प्रमाणक 28 रू0 97808.00 भुगतान लम्बित बिलों पर अंकन 05.42 लाख का ब्याज अनियमित रूप से भुगतान किया गया है।

गंभीर अनियमितता

2.उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि० देहरादून के पत्रांक 412 दिनांक 17.07.2008 कार्यालय आदेश से मिल समिति के पूर्व प्रभारी प्रधान प्रबन्धक श्री आर०के०अग्रवाल के चीनी मिल में सम्बद्ध न होने से रू0 16.71 लाख भुगतान कर हानि पहुंचायी गयी है।

<u>दुर्विनियोग</u>-

1.मिल समिति में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट की प्रतिमाह प्रतिवर्ष समय पर कर्मचारियों को अंशदान उनके वेतन से कटौती कर ट्रस्ट में जमा न किये जाने से 64.46 लाख ब्याज की हानि मिल को हुयी।

2.मिल समिति में एडजेस्टमेन्ट रिलेटिंग टू प्रीवियस इयर दिनांक 01.04.10 से 31.03.11 तक रू0 05.47 लाख का व्यय देय नहीं है।

3.दिनांक 04.12.10 कैश प्रमाणक संख्या 1256 रिलेटिंग टू प्रीवियस इयर रू0 00.05 लाख भुगतान की वसूली योग्य है।

<u>विविध अनियमितता:-</u>

1-मिल समिति में वर्ष 2010-11 की स्टोर इन्चेटरी के अनुसार रू0 8.40 लाख वर्ष की खरीद का उपयोग न होने से स्टाक डम्प कर मिल को हानि पहुंचाई गई।

2-मिल समिति में विभाग द्वारा स्टापिंग पैटर्न अनुसार वर्षवार स्थाई व सीजनल 781 पद स्वीकृत थे जिसके विपरीत कार्यरत संख्या 563 थी जिसमें 218 पद रिक्त है मिल समिति द्वारा खाली पदों के विपरीत वर्षभर दैनिक वेतनभोगी 1747 कर्मचारियों को वर्ष का वेतन रू0 111.43 लाख भुगतान कर हानि पहुंचाई गयी।

<u>दि किसान सहकारी चीनी मिल्स नादेही (लेखा परीक्षा वर्ष 2000–2001)</u>

<u>विविध अनियमितता:-</u>

1-मैसर्स भारत इण्डस्ट्रीज गजियाबाद का खाता 01.04.2000 को अंकन रू0 21730.81 से डेबिट दर्शित हो चुका है। उक्त राशि की फर्म से वसूली की जाये। अन्यथा अग्रिम स्वीकृतिकर्त्ता/संस्तुतिकर्त्ता अधिकारी/कर्मचारी से वसूल की जाये।

<u>सहकारी गन्ना विकास समिति लि० किच्छा (ले०प० वर्ष 2000–2011)</u>

<u>अनियमित भुगतान:-</u>

1.समिति में कार्यरत तत्कालीन विशेष सचिव एंव कार्मिकों को समिति परिसर उपलब्ध होने के बावजूद अंकन रू0 109290.00 का मकान किराया भत्ता दिया गया जो कि अनियमित रूप से कार्मिकों को भुगतानित है जिसकी वसूली अपेक्षित है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० सितारगंज (ले०प० वर्ष 2009–10 से 10–11)

अनियमित भुगतानः-

1.लेखा परीक्षा वर्ष 2009-10 से 10-11 में पाया गया कि वर्ष 2009-10 में समिति स्तर से ए०जी०एम० में अंकन रू0 172612.00 का भुगतान किया गया परन्तु भुगतान से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए सम्बन्धित फर्मो को अनियमित रुप से भुगतान किया गया है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० बाजपुर (ले०प० वर्ष 2009–10 से 10–11)

अनियमित भुगतानः-

1.लेखा परीक्षा वर्ष 2008-09 से 10-11 में पाया गया कि दिनांक 28-02-09 को कम्प्यूटर उपकरण क्रय हेतु शैल कम्प्यूटर को अंकन रू0 99500.00 का भुगतान किया गया परन्तु क्रय से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में निहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए सम्बन्धित फर्म को अनियमित रुप से भुगतान किया गया है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि० काशीपुर (ले०प० वर्ष 2010–11)

विविध अनियमितताः-

1.लेखा परीक्षा वर्ष 2010-11 में पाया गया कि समिति द्वारा पी०एन०बी० में म्युचल फण्ड समिति के नाम न कर तत्कालीन विशेष सचिव के नाम पर किया गया है जो कि आपत्तिजनक है साथ ही दिनांकः 31-03-11 को विनियोजनों पर रू0 87135.87 की हानि रही है जिस हेतु दायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

किसान सेवा समिति बैंल पड़ाव नैनीताल 2011–12 (नैनीताल)

गंभीर अनियमितता

1. कर्जा सदस्यों पर लगा रू0 3,15,88,793.72 अंकित है कार्य विवरण पत्र में 31743762.95 है। इस प्रकार अंतर 1,54,969.23 से पूंजी पक्ष में अंतर है।

दुर्विनियोग

1 रिस्क फन्ड रू0 46773.00 विगत वर्षों से यथावत दर्शाया जा रहा है। पुष्टि में कोई बैंक प्रमाणक उपलब्ध नहीं है।

किसान सेवा सहकारी समिति मालधनचौड़ नैनीताल 2011–12 (नैनीताल)

व्यपहरण

1. विधायक निधि से कराये गये निर्माण कार्य मध्ये रू0 1,47,496.00 सामग्री एंव मजदूरी पर किया गया व्यय अवास्तविक है। वसूली अपेक्षित है।

गंभीर अनियमितता

1 रू0 29276.00 स्टेशनरी क्रय, बिना स्टोक पंजिका में दर्ज किये स्टाक के उपयोग,एंव शेष की स्टाक की स्थिति अज्ञात रही।

2. रू0 62180.00 ब्याज राहत धनराशि लाभार्थियों को समायोजन करने के बजाय समिति कोष में रखा जाना अनियमित रहा।

राजकीय अनुदान से संबंधित अनियमितता

3. बीज अनुदान रू0 45500.00 संस्था द्वारा समिति में रोक कर दुरूपयोग किया गया।

किसान सेवा सहकारी समिति मोटा हल्दू नैनीताल 2011–12 (नैनीताल)

गंभीर अनियमितता

1. मिनी बैंक सावधि खाते की बैलैन्स बुक में 31.03.12 को देय ब्याज रू0 1417786.00 दर्शित है। जबकि संतुलन पत्र से रू0 1617786.00 दर्शित कर रू0 2 लाख देय ब्याज अधिक दर्शा कर अंतिम खाते प्रभावित रहे।

2. समिति संतुलन पत्र में 31.3.12 को अमानत सदस्य का दायित्व रू0 335064.00 दर्शित है। जबकि कार्य विवरण पत्र से रू0 319521.00 पुष्टित रहा। इस प्रकार संतुलन पत्र में रू0 15543.00 का दायित्व अधिक दर्शित है।

व्यपहरण

1 समिति के उर्वरक बिक्री रजिस्टर तथा कैश बुक में दर्शित बिक्री में रू० 2342.00 का अंतर रहा। कैशबुक में रू० 2342.00 से बिक्री कम दर्शित है।

लाखनमंडी ई० का० कर्म० वेतनभोगी सहकारी समिति चोरगलिया नैनीताल 2011–12

गंभीर अनियमितता

1 संतुलन पत्र में 31.03.12 को कर्जा सदस्यों पर रू0 241226.00 दर्शित है जबकि कार्य विवरण पत्र से रू0 242551.00 पुष्टित रहा इस प्रकार कर्जा सदस्यों का पाना रू0 1325.00 से कम दर्शित है।

2. दिनांक 31.03.12 को संतुलन पत्र में बैंक अमानत जमा रू0 84521.00 दर्शित है जबकि बैंक पासबुक खातें से 85512.00 रू० की पुष्टि होती है। अंतर रू0 991.00 से बैंक जमा कम दर्शित है।

साधन सहकारी समिति लि० गरमपानी नैनीताल 2011–12

व्यपहरण

1 वर्ष 2011–12 में समिति का एम०टी०ऋण बैंक जमा रू0 859742.00 दर्शित है। जबकि बैंक द्वारा ऋण जमा रू0 856742.00 ही दर्शित है। अंतर रू0 3000.00 का दायित्व नियत कर वसूली अपेक्षित है।

गंभीर अनियमितता

1.कर्जा बैंक को वापस करना दि० 31.3.12 को संतुलन पत्र से रू0 23100.58 से कम दर्शित है।

2.कर्जा सदस्य व सूद सदस्यों से वसूल करना 267.20 लाख की पुष्टि में कार्य विवरण पत्र तैयार नहीं किया गया है।

3. अमानत सदस्य 120666.00 व मिनी बैंक सदस्य अमानत 6239630.00 रू० की पुष्टि में कार्य विवरण पत्र व बैलैन्स बुक तैयार नहीं की गई है।

साधन सहकारी समिति लेटी बूंगा नैनीताल 2011–12

गंभीर अनियमितता

1 दि० 31.03.12 को मिनी बैंक सदस्य का दायित्व रू० 94098.74 अधिक दर्शित है।

2. दीगर पावना दि० 31.03.12 से रू० 18048 वसूली के अभाव में यथावत चला आ रहा है जिसमें से रू0 16800 आई0सी0आई0सी0आई0बैंक से तथा पूर्व सचिव से रू0 1248 पावना दर्शित है।वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

साधन सहकारी समिति लि0 खत्याड़ी अल्मोड़ा वर्ष (2008-09 से 11-12)

अधिक/अनियमित भुगतान

1. वर्ष 2009-10 में समिति भवन स्वामी को रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से कुल रू0 13000.00 भुगतान किया गया है। इस प्रकार माह अक्टूबर 2009 में समिति सचिव द्वारा किराया दो बार भुगतान किया गया है रू0 1000.00 की वसूली अपेक्षित है।

साधन सहकारी समिति लि0 फलसीमा अल्मोड़ा (2010-11 से 11-12)

दुर्विनियोग

1.संस्था कैशबुक की जांच पर पाया गया कि 22.06.11 को कैशबुक पृष्ठ 39 में इन्फोटेक सिस्टम एण्ड सौफटवेयर को बिल संख्या 641 दिनांक 21.06.11 से आई0सी0डी0पी0 के माध्यम से रू0 35724.00 का कम्प्यूटर क्रय का भुगतान किया गया है। जो कि लेखा परीक्षा तिथि (लगभग एक वर्ष से अधिक) तक सौफ्टवेयर न होने से निष्क्रीय पड़ा है। आ0ई0सी0डी0पी0 द्वारा उक्त क्रय के साथ ही वांछित सौफ्टवेयर क्रय कराने के उपरान्त ही संस्था को कम्प्यूटर दिये जाने चाहिये थे। इस प्रकार शासन के धन का दुरूपयोग किया गया जो कि आपत्तिजनक है।

साधन सहकारी समिति लि0 भौनखाल अल्मोड़ा (2004-05 से 11-12)

अधिक/अनियमित भुगतान-

1.भवन के रुप में वर्ष 2010-11 में रू0 2,49,000.00 का व्यय किया गया परन्तु प्रमाणक अप्राप्त रहे तथा उक्त निर्माण कार्य में शासन के अधिप्राप्ति नियमावली वर्ष 2008 का अनुपालन नहीं किया गया। पत्रावली में प्रमाणक वर्ष 2011-12 के रखे गये है।

साधन सहकारी समिति गनियाद्योली अल्मोड़ा (2011-12)

व्यपहरण

1.दिनांक 25.11.11 को सदस्य खाता संख्या 6/49 श्री बहादुर सिंह को रू0 21700.00 ऋण अग्रिम किया गया था। जबकि सदस्य खाते में रू0 20,000.00 ही ऋण अग्रिम दिखाया गया है।रू0 1700.00 वसूली योग्य है।

गंभीर अनियमितता

2.ऋण कक्ष की कैशबुक अनुसार अमानत सदस्यों से प्राप्त रू0 32135.00 प्राप्त था जबकि कार्यपूर्ति विवरण पत्र में रू0 32235.00 दर्शित है। अन्तर रू0 100.00 वसूली योग्य है।

साधन सहकारी समिति बासुलीसेरा अल्मोड़ा (2006-07 से 11-12)

व्यपहरण

1.वर्ष 2009-10 में कैशबुक पृ0 29 पर श्री रतन सिंह को माह अप्रैल 09 से जुलाई 09 तक का रू0 2000.00 किराया भुगतान किया गया जबकि वाउचर रू0 1600.00 का प्राप्त रहा। रू0 400.00 की वसूली तत्कालीन सचिव से अपेक्षित है।

2.वर्ष 2007-08 में कैशबुक पृ0सं0 16 अनुसार रू0 2066.40 का गेहूं बीज क्रय किया गया जो कि स्टाक पंजी में दर्ज नहीं है तथा पूर्व स्टाक भी शून्य है। रू0 2066.00 की वसूली अपेक्षित है।

3.वर्ष 2007-08 में उर्वरक बिक्री/स्टाक पंजी पृ0 105 में दिनांक 15.11.07 को 4.50 कु0 एन0पी0ए0 की बिक्री दर्शित है परन्तु रोकड़ बही में बिक्री मूल्य अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार रू0 3838.50 की वसूली तत्कालीन सचिव से अपेक्षित है।

4.वर्ष 2007-08 में उर्वरक बिक्री/स्टाक पंजी पृ0 81 में दिनांक 15.11.07 को 0.750 कु0 यूरिया की बिक्री दर्शित है परन्तु रोकड़ बही में बिक्री मूल्य अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार रू0 376.50 की वसूली तत्कालीन सचिव से अपेक्षित है।

साधन सहकारी समिति चिनियानौला अल्मोड़ा (2011-12)

व्यपहरण

1.दिनांक 28.07.11 को रसीद बुक सं0 5143/1 रू0 2000.00 श्री खीमसिंह ग्राम बलना खाता संख्या 61 के नाम निर्गत है परन्तु रोकड़बही में लेखा नहीं पाया गया। अतः तत्कालीन सचिव से वसूली अपेक्षित है।

पैठाणी साधन सहकारी समिति जि0 पौड़ी (वर्ष 2004-05 से 2010-11)

व्यपहरण-

1.रसीद सं0 6 दिनांक 23/06/04 से श्री शंकर सिंह पुत्र श्री फते सिंह खाता सं0 10/23 से रू0 7,300.00 की वसूली अपरलेखन से रू0 7000.00 कर कैश बुक दर्ज की गयी जबकि सदस्य खाते में 7,300.00 (2869.00 ब्याज+4431.00 म0का0ऋण) वसूली दर्ज है। रू0 300.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री भूपाल सिंह कण्डारी से अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 05)

अधिक/अनियमितभुगतान-

1.बा0सं0 42 अक्टूबर 04 द्वारा चाय, समोसे, बिस्कुट का 605.00 निर्वाचन सम्बन्धी कार्य का श्री भूपाल सिंह कण्डारी द्वारा स्वंय के बाउचर से भुगतान प्राप्त किया गया जबकि उक्त संदर्भ में दुकान का बिल लिया जाना अपेक्षित था व्यय फर्जी है। रू0 605.00 की तत्कालीन सचिव श्री भूपाल सिंह कण्डारी से वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 07)

2.श्री भूपाल सिंह कण्डारी सचिव द्वारा निम्न विवरण अनुसार अपने कार्यकाल में समिति से यात्रा भत्ता भुगतान प्राप्त किया गया किन्तु दैनिक भत्ता की तिथियों हेतु नियत यात्रा भत्ता की धनराशि कम नही की गयी।

1.वा0सं0 44/नवम्बर 2004 या0भ0 27/09/04 से 26/11/04 तक 567.40

दैनिक भत्ता 8x5.00 नि0या0भ0=40.00

2.वा0सं0 27/जुलाई 2005 या0भ0 05/04/05 से 01/07/05 तक 1198.00

दैनिक भत्ता 14x5.00नि0या0भ0=70.00

3.वा0सं0 25/23/09/06 या0भ0 17/08/05 से 08/09/06 तक 2510.00

दैनिक भत्ता 29x5.00नि0या0भ0=145.00

योग 255.00

अत: रू0 255.00 की तत्कालीन सचिव श्री भूपालसिंह कण्डारी से वसूली अपेक्षित है।

(सा0आ0सं008)

3 समिति कैश बुक एंव व्यय प्रमाणक अनुसार समिति कार्यालय एंव गोदाम का किराया निम्न प्रकार भुगतान किया गया है।

1 कार्यालय किराया श्री इन्द्रसिंह जुलाई 03 से सितम्बर 04 वा0सं0 30 माह सितम्बर 04 में रू0 3000.00

2.गोदाम किराया श्री विक्रम सिंह जुलाई 03 से सितम्बर 04 वा0सं0 29 सितम्बर 04 में रू0 3000.00

कैश बुक की जांच पर पाया गया कि जुलाई 03 से दिसम्बर 03 का किराया कार्यालय एंव गोदाम का वर्ष 2003-04 में वा0सं0 12 से भुगतान किया जा चुका था। इस प्रकार जुलाई 03 से दिसम्बर 03 का किराया दोनों भवनों का दो बार भुगतान कर 2400.00 फर्जी भुगतान किया गया जिसकी तत्कालीन सचिव श्री भूपालसिंह कण्डारी से वसूल

अपेक्षित है।

4- दिसम्बर 2006 में समिति सचिव श्री राम प्रसाद जोशी का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता 2.9.06 का विडोली से पैठाणी 3335.00 भुगतान किया गया। यात्रा देयक का विवरण निम्नवत है-

विडोली से पाबौ 4 कि0मी0 4 सदस्य x 7.00= 28.00

पाबौ से पैठानी 22 कि0मी0 4 सदस्य x 20.00= 80.00

घरेलु सामान ढुलान 37.50 प्रति0 कु0प्रति कि0मी0 2437.00

डिस्टरवेंस एलाउन्स मूल वेतन का 1/2 रू0 790.00

योग रू0 3335.00

पुष्टि में कोई दर प्रमाण पत्र व रसीदें प्रस्तुत नही रही जबकि शासनादेश सं0 396 दि0 11/06/99 के अनुसार निम्न प्रकार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होता था।

किराया 4 सदस्य x 27.00 =108.00

घरेलू सामान 12.50 कुन्तलx 0.50x26 कि0मी0=162.50

पैकिंग भत्ता रू0 =250.00

योग रू0 =520.50

अत: 3335.50-520.50=2815.00 अधिक भुगतान की तत्कालीन सचिव श्री राम प्रसाद जोशी से उक्त तारीख तक 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं015)

व्यपहरण

1 .मार्च 07 में कैश बुक पृष्ठ सं0 23 पर 175.00 सचिव का यात्रा भत्ता भुगतान अंकित है जबकि यात्रा भत्ता बिल 04.04.07 से 05.04.07 का कैश बुक पृष्ठ 25 पर वर्ष 2007-08 में भुगतान अंकित है। मार्च 07 में फर्जी व्यय अंकित कर धनराशि का अपहरण किया गया जिसकी तत्कालीन सचिव श्री राम प्रसाद जोशी से वसूली अपेक्षित है। (सा0आ0सं019)

2.फलैक्स बोर्ड क्रय का दि0 15.06.08 का बिल रू0 530.00 का भुगतान कैश बुक पृष्ठ सं0 46 एंव 47 पर दो बार अंकित कर रू0 530.00 का सचिव श्री राम प्रसाद जोशी द्वारा व्यपहरण किया गया है। (सा0आ0सं0 23)

<u>अधिक/अनियमित भुगतान</u>

श्री राम प्रसाद जोशी सचिव द्वारा रू0 8434.00 बोनस का भुगतान निबंधक सहकारी समितियां की स्वीकृत के बिना किया जाना अनियमित है-

(सा0आ0सं0 27)

<u>व्यपहरण</u>

1.दि0 27.4.10 को बैंक जमा स्लिप रू0 20,000.00 के विरूद्ध कैश बुक में रू0 27,000.00 अल्प कालीन ऋण जमा अंकित कर 7,000.00 रोकड का अपहरण किया गया। (सा0आ0सं0 28)

2.दि0 18.6.10 को 7 सदस्यों को ऋण भुगतान एंव पुराने ऋण की वसूली की गयी। 7 सदस्यों द्वारा रू0 1,40,600.00 बैंक एडवाइज अनुसार बैंक में जमा किया गया उक्त एडवाइज अनुसार सचिव द्वारा प्रविष्टि न करके सदस्यों की नकद जमा की रसीद काटी गयी जिसमें श्री मदन सिंह खाता सं0 11/136 द्वारा जमा रू0 21,500.00 के विरूद्ध रू0 20,900.00 की रसीद काटकर कैश बुक प्रविष्टि की गयी। अतः रू0 600.00 का श्री जोशी तत्कालीन सचिव द्वारा अपहरण किया गया है।

(सा0आ0सं0 29)

3-दिनांक 18.06.2010 को बैंक से रू0 144000 ऋण प्राप्त कर सदस्य खातों में रू0 140600 की प्रविष्टि कर रू0 3400 का सचिव द्वारा अपहरण किया गया।(सा0आ0सं0 30)

4.दि0 23.9.10 को श्री केशर सिंह खाता सं0 11/165 की अमानत 1950.00 नकद भुगतान कर कैश बुक पृष्ठ सं0 83 एंव 84 दो बार लिख कर 1950.00 का अपहरण किया गया।

5.सदस्य खाता न होते हुए भी कैशबुक पृष्ठ 500 सं0-84 पर माह-दिसम्बर,2010 में श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री कलम सिंह के नाम फर्जी हिस्सा धन रू0 2795 भुगतान दिखा कर व्यपहरण किया गया। (सा0आ0सं0 33)

6. कैश बुक में दि0 30.3.11 को 1,06,00.00 रोकड शेष श्री राम प्रसाद जोशी सचिव के नाम डेविट दिखाकर धनराशि का अपहरण किया गया। (सा0आ0सं0 36)

7. प्रबंध कमेटी एंव जिला सहायक निबंधक की स्वीकृति के बिना संतुलन पत्र में दि0 31.03.2010 को रू0 1362.00 की उर्वरक स्टाक की हानि दिखा कर स्टाक का सचिव श्री जोशी द्वारा अपहरण किया गया। (सा0आ0सं0 38)

अधिक ऋण माफी संबंधी अनियमितता-

1.समिति को दिसम्बर 2008 में बैंक एडवाइज दि0 18.12.08 द्वारा रू0 11,69,542.00 ऋण माफी की धनराशि प्राप्त हुई। ऋण माफी सूची एंव खातों से जांच करने पर पाया गया कि रू0 104792 राशि को फसली ऋण एंव दीर्घकालीन ऋण की दो बार प्रविष्टि कर शासन से रू0 104792 अधिक अनुदान प्राप्त कर शासन को हानि पहुंचायी गयी है।

2. पांच सदस्यों पर 1.4.97 से पूर्व का रू0 18290 मध्यकालीन ऋण बकाया रहते हुए रू0 24500.00 1.4.97 के बाद अल्पकालीन ऋण दिया गया, तथा ऋण माफी में अ0का0 एंव मध्य कालीन ऋण ब्याज सहित अनुदान प्राप्तकर वसूली दर्शित है। दिया गया अ0का0 ऋण रू0 24500 तथा रू0 11710 ब्याज कुल रू0 36210 माफी योग्य नही था।

3.श्री पूर्ण लाल खाता सं0 9/78 को रू0 26,797.00 (15960.00+10837.00) अनियमित रूप से ऋण माफी दिखा कर अनुदान प्राप्त कर अनुदान राशि का दुरूपयोग किया गया।

4. ऋण माफी सूची में श्री बलवन्त सिंह खाता सं0 9/186 के अ0ऋण राशि रू0 7600.00 को दो बार दिखा कर ऋण माफी अनुदान प्राप्त किया गया। रू0 7600 की शासन को वापसी अपेक्षित है।

कोट अमोड़ी साधन सहकारी समिति लि0 चम्पावत

व्यपहरण

(1) संस्था से सम्बद्ध मिनी बैंक स्वाला में दिनांक 02.02.2010 तथा दिनांक 24.09.2011 को रोकड़ शेष रू0 475.00 कम अंकित कर व्यपहरण किया गया।

(2) मिनी बैंक स्वाला में माह नवम्बर, 2010 का किराया दो बार भुगतान कर रू0 600.00 का व्यपहरण किया गया।

डुमडाई साधन सहकारी समिति लि0 चम्पावत-

आर्थिक क्षति-

1. समिति भवन किराए की शेष राशि रू0 12,400 की वसूली नहीं की गयी है।

झनकट किसान सेवा सहकारी समिति लि०उधमसिंहनगर (ले०प० वर्ष 2011–12)

1.लेखा परीक्षा वर्ष 2011-12 में पाया गया कि समिति द्वारा कार्यरत कार्मिकों से अंकन रू0 26796.00 की वसूली नहीं की गई है जिसकी वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत पुनाड़ वि0खण्ड जाखणीधार टिहरी गढ़वाल (2005-06 से 2011-12)

व्यपहरण-

1.श्रीमती गुसौरी देवी ग्राम प्रधान तथा श्री हरिमोहन पेटवाल तत्कालीन ग्रा0पं0वि0अ0 द्वारा दिनांक 23.07.06 को रू0 25,000 तथा दिनांक 27.7.06 को रू0 19000.00 बैंक खाते से प्राप्त कर कोषवही में प्राप्ति का लेखा न कर व्यपहरण किया गया।

2. श्रीमती गुसौरी देवी ग्राम प्रधान तथा श्री हरिमोहन पेटवाल तत्कालीन ग्रा0पं0वि0अ0 द्वारा रू0 5,000 बैंक खाते से आहरित कर रोकड अपने पास अस्थायी रूप से रोककर रू0 5,000 का अस्थायी अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत बौड़ जसपुर वि0खण्ड जाखणीधार (टिहरी गढ़वाल) (2006-07 से 2011-12)

व्यपहरण-

1. ग्राम पंचायत के बैक खाते में आहरित धनराशि रू0 21457.00 को कोषांकित न कर रोकड़ का व्यपहरण किया गया।

गंभीर अनियमितता-

1. वितरित छात्रवृति रू0 43440 के वितरण की पुष्टि में प्राप्ति रसीदें न थी ।

ग्राम पंचायत क्री कोट, वि0खण्ड देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल (2006-07 से 11-12)

व्यपहरण

1.रू0 3000.00 बैंक खाते से आहरित धन राशि कोषांकित न कर रोकड़ को अपहरण किया गया।

2- ग्राम पंचायत की कोषवही में रू0 127025 रोकड़ शेष कम दर्शित कर रोकड़ का व्यपहरण किया गया

गंभीर अनियमितता-

1. ग्राम पंचायत की कोषवही में दर्शित व्यय रू0 3,23,799.88 के व्यय बिल/प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहना।

2. छात्रवृति की धनराशि रू0 4800 वितरित न कर अन्य मद में व्यय की गयी है।

ग्राम पंचायत वसेली वि0खण्ड प्रतापनगर (टिहरी गढवाल) 2007-08से 2010-2011

व्यपहरण

1. रू0 533259.00 बैक खातो में आहरित धन राशि को कोषांकित न कर रोकड़ का व्यहरण किया गया।

ग्राम पंचायत छेटी वि0खण्ड प्रतापनगर (टिहरी गढवाल) वर्ष:-2006-2007 से 2011-2012

गंभीर अनियमितता-

1.कोषबही अनुसार दर्शित व्ययों रू0 35226 के व्यय प्रमाणक/पत्रावलियॉ नही रखी गयी हैं।

ग्राम पंचायत खादी वि0खण्ड जाखणीधार (टिहरी गढवाल) वर्ष 2006-07 से 2011-12

व्यपहरण-

1.रू0 8400 तथा रू0 1,94,618 धनराशि बैंक खाते से आहरित धनराशि को कोषांकित न कर रोकड़ का अपहरण किया गया।

गंभीर अनियमितता-

1. कोषवही अनुसार दर्शित व्ययों रू0 89850 के व्यय प्रमाणक/पत्रावलियॉ नहीं रखी गयी है।

परिशिष्ट 'क'

(भाग-(आख्या प्रस्तर 2.1 में सन्दर्भित)

क्र0 सं0.	संस्था की श्रेणी	संस्थाओं की संख्या
1	उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी, नैनीताल	01
2	उत्तरांचल कोआपरेटिव फैडरेशन लि0 प्रेमनगर, देहरादून	01
3	उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, देहरादून	01
4	जिला सहकारी बैंक लि0	10
5	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0	08
6	जिला सहकारी विकास संघ लि0	10
7	जिला भेषज विकास संघ लि0	12
8	थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0	06
9	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	31
10	सहकारी विकास/ब्लाक संघ लि0	21
11	सहकारी बीज/पूर्ति भण्डार	10
12	किसान सेवा/लैम्पस/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	753
13	कृषि सहकारी समितियां	04
14	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	36
15	श्रम सविंदा/वेतन भोगी/विशिष्ट सहकारी समितियां	332
16	जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0	12
17	सहकारी दुग्ध समितियां	1269
18	सहकारी चीनी मिले	04
19	सहकारी गन्ना समितियां	13
20	सहकारी आवास संघ/समितियां	54
21	बुनकर/खादी/रेशम/उघोग सहकारी समितियां	161
22	सहकारी मत्स्य समितियां	8
23	जिला पंचायतें	13
24	वैयक्तिक लेखा (पी0 एल0 ए0)	20
25	क्षेत्र पंचायत	95
26	पंचायत उघोग	39
27	ग्राम पंचायतें	7358
	योग-	10282

परिशिष्ट 'ख'

(आख्या प्रस्तर 2.2 में सन्दर्भित)

सम्परीक्षाधीन संस्थाएं एवं उन पर लागू सम्बन्धित अधिनियम:-

1-जिला सहकारी बैंक:-

(1) बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949
(2) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम, 2003 एवं नियमावली, 2004
(3) शासन/भारतीय रिजर्व बैंक/नावर्ड/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/ आदेश/शासनादेश
(4) सम्बन्धित संस्था की सेवा नियमावली
(5) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट, 1934
(6) पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972
(7) पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट, 1965
(8) निगोशियेवल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881

2- सहकारी संस्थायें:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम, 2003/नियमावली, 2004
(2) शासन/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली
(4) आयकर अधिनियम, 1987/नियमावली
(5) सी0 पी0 एफ0 रूल्स

3- दुग्ध/उद्योग संस्थायें:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम, 2003/नियमावली, 2004
(2) शासन/दुग्ध आयुक्त/उद्योग निदेशक द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश
(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली
(4) उ0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य कर अधिनियम
(5) बिक्रीकर अधिनियम, 1948/नियमावली
(6) सैन्ट्रल लेवर एक्ट, 1970
(7) कारखाना अधिनियम, 1948

(8) वर्क्समैन कम्पन्सेशन एक्ट, 1923

(9) दि पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट, 1965

4- गन्ना समितियां:-

(1) उ0 प्र0 गन्ना पूर्ति एवं खरीद अधिनियम

(2) शासन/केन कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम, 2003 एवं नियमावली, 2004

5- मत्स्य समितियां:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम, 2003 एवं नियमावली, 2004

(2) शासन/निदेशक फिशरीज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

6- पंचायत संस्थायें:-

(1) उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1947/नियमावली/उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपारान्तरण आदेश, 2005

(2) शासन/निदेशक पंचायती राज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली

(4) उ0 प्र0 भूमि प्रबन्धन समिति नियम संग्रह

वित्तीय नियमावलियां:-

1-	वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पांच व छः	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
2-	बजट मैनूअल	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
3-	समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेश	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
4-	मैनूअल आफ गवर्नमैन्ट आर्डरस	सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
5-	उपविधियां/सेवा नियमावलियां	सामान्य रूप में अधिकांश संस्थाओं पर लागू
6-	उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम 2012 एवं आडिट मैनुअल 2012	सामान्य रूप में अधिकांश संस्थाओं पर लागू जिस के अनुसार भविष्य में लेखा परीक्षा की जानी है

परिशिष्ट 'ग'

(आख्या प्रस्तर 4.3 में सन्दर्भित)

आडिट 5471/दस-300(8)/74

प्रेषक,

श्री सुदर्शन लाल शाह कुमैया
उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 लखनऊ
वित्त (लेखा परीक्षा अनुभाग)

लखनऊ, दिनांक सितम्बर, 17, 1977

विषयः- **सहकारी समितियों से वसूली किये जाने वाले लेखा परीक्षा शुल्क की दरो का पुनरीक्षण।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके शासनादेश संख्या ए0एस0टी0-1953/दस-3000(8) /53 दिनांक 11 सितम्बर 1969 व उसी क्रम में जारी किये गये शासनादेश सं0 ए0एस0टी0-300/दस-3000(8)/53 दिनांक 16-4-70 का आशिंक संशोंधन करते हुए राज्यपाल महोदय, सहकारी समितियों द्वारा देय लेखा परीक्षा शुल्क की निम्नलिखित दरें और सीमायें और निर्धारित करते हैं:-

(1)- शीर्षस्थ समितियां जेसे यू0पी0 सहकारी संघ आदि एवं मिल्क बोर्ड कानपुर, मिल्क यूनियन लखनऊ, चीनी मिल, सूती मिल आदि ऐसी संस्थायें, जिनका वार्षिक व्यवसाय (टर्न ओवर) एक करोड रूपये से अधिक है, लेखा परीक्षा पर हुए कुल व्यय को वहन करेगी।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी इन समितियों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा पार्टी के उपर हुए व्यय को सम्बन्धित समितियों को संसूचित करेंगे।

(2)- प्रदेश की शेष समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क निम्नलिखित दरो से देय होगा:-

क्र0 सं0	सहकारी समितियों की प्रकृति	शुल्क अवधारणा का आधार	दर
क-	ऋण समितियां (रू0 का लेन देन करने वाली)	लेखा परीक्षा वर्ष की 30 जून की कार्यशील पूंजी पर	60 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ख-	उत्पादन संग्रह, क्रय विक्रय एवं उघोग समितियां	लेखा परीक्षित वर्ष के विक्रय पर	30 पैसे प्रति एक सौ रूपये

ग-	समितियां जिनका प्रभाव उददेश्य परामर्श अथवा सेवा प्रदान करना है	लाभ हानि नक्शे के लाभ पक्ष में दर्शित सकल आय (सकल आय लाभ सहित) पर	सकल आय का 2 प्रतिशत

(3)- विभिन्न प्रकार की समितियों द्वारा देय शुल्क की अधिकतम सीमाओ की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

क्र0 सं0	सहकारी समितियां	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमाओं की गणना प्रक्रिया
1-	जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक		
क	50 लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	10,000-00	
ख	50 लाख रू0 से अधिक एक करोड रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	20,000-00	
ग	एक करोड रू0 से अधिक कार्यशील पूंजी पर	50,000-00	
2-	नगर बैंक/प्राईमरी सहकारी बैंक	10,000-00	प्रत्येक एक लाख की कार्यशली पूंजी के लिए रू0 200-00
3-	प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां एंव प्रस्तर 2(क) में उल्लिखित उन्य ऋण व्यवसाय वाली समितियां:-		
क	एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	500-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर के लिए रू0 500-00
ख	एक लाख रू0 से अधिक दो लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	1,000-00	
ग	दो लाख रू0 से अधिक चार लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	2,000-00	
घ	चार लाख रू0 से अधिक की कार्यशील पूंजी पर	3,000-00	
4-	वेतन भोगी सहकारी समितियां	3,000-00	
5-	जिला सहकारी संघ	10,000-00	प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 1,000-00
6-	सहकारी दुग्ध संघ	5,000-00	
7-	प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार	1,000-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 150-00
8-	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार	2,000-00	
9-	नया बाजार	3,000-00	
10-	उघोग समितियां	2,500-00	प्रत्येक रू0 25,000-00 की

			बिक्री के लिए रू0 50-00
11-	प्रस्तर दो (ख) में आने वाली अन्य ऐसी समितियां जिन पर शुल्क की सीमा पृथक रूप से नहीं निर्धारित है अथवा जिनमें लेखा परीक्षा पर होने वाले व्यय का प्रावधान नहीं है।	2,000-00	प्रत्येक 5लाख रू0 की बिक्री के लिए 1,000-00 रू0
12-	गन्ना संघ एवं समितियां	20,000-00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500-00 एक लाख रू0 से कम कार्यशील पूंजी का वह भाग जो एक लाख रू0 अथवा उसके गुणक के अतिरिक्त होगा उस पर लेखा परीक्षा शुल्क सामान्य दर (60 पैसे प्रति 100-00 रू0) से अथवा रू0 500-00 जो भी कम हो लगाया जायेगा।

(2)- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि उ0 प्र0 सहकारी नियमावली 1968 के नियम 220 के अनुसार यह आदेश शासनादेश की तिथि से लागू होंगे।

भवदीय,

(सुदर्शन लाल शाह कुमैया)
उप सचिव

आडिट संख्या 5471 (1)/दस-300 (8)/74

परिशिष्ट- 'घ'

(प्रस्तर 6 में सन्दर्भित)

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लिए स्वीकृत जिला सम्परीक्षा कार्यालयों की सूची-

क्र0 सं0	जिले का नाम जहां जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित है।
1-	उत्तरकाशी
2-	चमोली (गोपेश्वर)
3-	टिहरी (नरेन्द्रनगर)
4-	देहरादून
5-	पौडी गढवाल
6-	हरिद्वार
7-	रूद्रप्रयाग
8-	अल्मोडा
9-	पिथौरागढ
10-	नैनीताल
11-	उधमसिंह नगर (रूद्रपुर)
12-	बागेश्वर
13-	चम्पावत

परिशिष्ट- ''घ-1'' (प्रस्तर 6 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय:-

1-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी, नैनीताल।	01
2-	उत्तराखण्ड रेशम कोआपरेटिव फैडरेशन लि० प्रेमनगर, देहरादून।	01
3-	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि०, देहरादून।	01
4-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० बाजपुर, उधमसिंह नगर।	01
5-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० गदरपुर, उधमसिंह नगर।	01
6-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० नादेही, उधमसिंह नगर।	01
7-	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सितारंगज, उधमसिंह नगर।	01
8-	जिला सहकारी बैंक लि० नैनीताल, हल्द्वानी।	01
	योग	**08**

जिला सहकारी बैंक लि0

(ऑकड़े लाखों में)

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताये	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग /राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	विविध/गंभीर अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक नैनीताल	2012-13		67.20						985.84	1053.04
2	जिला सहकारी बैंक लि0 नैनीताल	2012-13	33.82	2140.21			1108.22		17.66		3299.91
3	जिला सहकारी बैंक लि0 उधमसिंहनगर	2012-13	10.95					0.50	7.65	1709.92	1729.02
4	जिला सहकारी बैंक लि0 अल्मोडा	2012-13		22.45					469.38	4.02	495.85
5	जिला सहकारी बैंक लि0 कोटद्वार	2011-12	3.16	1.83				0.29			5.28
6	जिला सहकारी बैंक लि0 पिथौरागढ.	2011-12	0.14	0.59						2.88	3.61
7	जिला सहकारी बैंक लि0 नई टिहरी गढवाल	2010-11								106.14	106.14
	योग:-		48.07	2165-08			1108.22	0.79	494.69	1822.96	5639.81

जिला भेषज सहकारी संघ एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार

(ऑकड़े लाखों में)

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताये	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग /राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	विविध/गंभीर अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कुमांऊ सहकारी संघ लि0 अल्मोडा		0	36.03	0	0	0	0	0	0	36.03
2	खटीमा अनुसूचित जनजाति सहकारी संघ लि0 खटीमा	2011-12	0.01								0.01
	योग:-		0.01	36.03	0	0	0	0	0	0	36.04

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/समितियां:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताये	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग /राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	विविध/गंभीर अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	दुग्ध संघ चम्पावत	-	0	0	0	0	2.51	0	0	2.65	5.16
2	दुग्ध समिति भूड़ा (नैनीताल)	2011-12	0.63	0	0	0	0	0	0	0	0.63
3	दुग्ध समिति सांप कठानी (नैनीताल)	2011-12	0	0	0	0	0.03	0	0	0	0.03
4	दुग्ध समिति बूढाधूरा (नैनीताल)	2011-12	0.05	0	0	0	0	0	0	0.01	0.06
5	दुग्ध समिति सिल्मोडिया (नैनीताल)	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.15
6	दुग्ध समिति खुर्पाताल (नैनीताल)	2011-12	0.05	0	0	0	0	0	0	0.01	0.05
7	दुग्ध समिति जलालगॉव (नैनीताल)	2011-12	0.006	0	0	0	0	0	0	0	0.006
8	दुग्ध समिति सिमायल रैकवाल (नैनीताल)	2011-12	0.006	0	0	0	0	0	0	0.25	0.25
9	दुग्ध समिति पिंचुआखेडा (नैनीताल)	2011-12	0.050	0	0	0	0	0	0	14.60	15.10

10	दुग्ध समिति सावल्दे (नैनीताल)	2011-12	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0.22
11	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति गुनाईखोला अल्मोड़ा	2004- 05 से 2011- 12	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.8
12	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति नईज्योली, अल्मोड़ा	2010-11 से 2011- 12	0.01	0	0	0	0	0	0	0.08	0.01
13	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति माडम, अल्मोड़ा	2004-05 से 2011- 12	0	0	0	0	0	0	0	0.12	0.12
14	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति नौघर, अल्मोड़ा	2010-11 से 2011- 12	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0.04
15	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति खरसों, अल्मोड़ा	2010-11 से 2011- 12	0	0	0	0	0	0	0.10	0	0.10
16	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति तुलेडी, अल्मोड़ा	2010-11	0	0	0	0	0.17	0	0	0	0.17
17	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पोखरी, अल्मोड़ा	2010-11 से 2011- 12	0.12	0	0	0	0.17	0	0	0	0.12
	योग:-			1.62	0	0	2.72	0	0.10	18.67	22.20

सहकारी चीनी मिल एवं गन्ना सहकारी समितियां

(ऑकड़े लाखों में)

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग /राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	विविध/गंभीर अनियमिततायें	विविध अनियमितता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	किसान सहकारी चीनी मिल्स बाजपुर	2004-05 से 2007-08	0	19.71	0	0	0	0	0	0.35		20.06
2	किसान सहकारी चीनी मिल्स सितारगंज	2010-11	2.78	05.42	0	0	0	0	69.98	16.71	119.83	214.72
3	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स,नादेही	2000-2001									0.21	0.21
4	सहकारी गन्ना विकास समिति लि० किच्छा	2000-2001	0	1.09	0	0	0	0	0	0		1.09

5	सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 सितारगंज	2009-10 से 2010-11	0	1.72	0	0	0	0	0	0		1.72
6	सहकारी गन्ना विकास समिति लि0,बाजपुर	2009-10 से 2010-11	0	0.99	0	0	0	0	0	0		0.99
7	सहकारी गन्ना. विकास समिति लि0 काशीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.87	0.87
	योग:-		**2.78**	**28.93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.98**	**17.06**	**120.91**	**239.66**

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताये	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग /राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	विविध/गंभीर अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	झनकट किसान सेवा सहकारी समिति लि0उधमसिंहनगर	2011-12	0	0.26	0	0	0	0	0	0	0.26
2	किसान सेवा सह0 समिति बैल पड़ाउ, नैनीताल	2011-12	0	0	0	0	0	0	0.47	1.55	2.02
3	किसान सेवा सहकारी समिति,मोटहल्दू, नैनीताल	2011-12	1.47	0	0	0.46	0	0	0	0.91	2.84
4	किसान सेवा सहकारी समिति,मोटहल्दू	2011-12	0.02	0	0	0.46	0	0	0	16.34	16.36
5	साधन सह0समि0वासुलीसेरा अल्मोड़ा	2006-12	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0.07
6	साधन सह0 समि0 चिनियानौला	2011-12	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0.02
7	साधन सह0समि0 लि0पैढाणी	2004-2011	0.29	0.14	0	1.75	0	0	0	0	2.18

8	डुमडाई साधन सह0समि0 चम्पावत						0.12				0.12
9	साधन सह0समि0 लि0गरमपानी, नैनीताल	2011-2012	0.03	0	0	0	0	0	0	331.03	331.06
10	साधन सह0समि0 लिटीबूंगा नैनीताल	2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	1.12	1.12
11	साधन सह0समि0 खत्याड़ी,अल्मोडा	2008-2012	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0.01
12	साधन सह0समि0 फलसीमा,अल्मोडा	2010-11 से 2011-2012		0	0	0	0	0	0.35	0	0.035
13	साधन सह0समि0लि0 भीमखाल,अल्मोडा	2004-05 से 2011-2012	0	2.49	0	0	0	0	0	0	2.49
14	साधन सह0समि0लि0 गनियाघोली,अल्मोडा	2011-2012	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0.02
15	कोट अमोडी साधन सह0समि0लि0 चम्पावत	2011-2012	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0.01
योग:-			0.06	2.50	0	0	0	0	0.35	332.15	335.06

वेतन भोगी सहकारी समितियां:-

(ऑकड़े लाखों में)

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताये	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग /राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	विविध/गंभीर अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लाखनमण्डी इ0का0वेतन भोगी, सहकारी समिति चोरगलिया	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.02
	योग:-		0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.02

ग्राम पंचायतें

(ऑकड़े लाखों में)

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताएँ	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग /राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमादित विवधि/ गम्भीर अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ग्राम पंचायत पुनाड़ वि0ख0 जाखणीधार,टिहरी गढ़वाल	2005-06 से 2011-12	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0.49
2	ग्राम पंचायत बौड जसपुर वि0ख0 जाखणीधार जनपद टिहरी गढ़वाल	2006-07 से 2011-12	0.21	0	0	0	0	0	0	0.43	0.64
3	ग्राम पंचायत क्री कोट जनपद वि0ख0 देवप्रयाग टिहरी ग0	2006-07 से 2011-12	1.57	0	0	0	0	0	0	3.29	4.86
4	ग्राम पंचायत बसेली वि0ख0 प्रतापनगर जनपद टिहरी ग0	2007-08 से 2010-11	5.33	0	0	0	0	0	0	0	5.33
5	ग्राम पंचायत छेटी वि0ख0 प्रतापनगर जनपद टिहरी ग0	2006-07 से 2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0.35
6	ग्राम पंचायत खादी वि0ख0 जाखणीधार टिहरी ग0	2006-07 से 2011-12	2.03	0	0	0	0	0	0	0.90	2.93
	योग:-		9.63	0	0	0	0	0	0	4.97	14.60

सकंलन

सहकारी एंव पंचायत संस्थाओं मे वित्तीय अनियमिततायें सम्बन्धी संकलित कुल धनराशि

वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु

(ऑकड़े लाखों में)

क्र० सं०	लेखे का नाम	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	आर्थिक क्षति	दुरूपयोग /राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	विविध/गंभीर अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैक लि0 नैनीताल	0	67.20	0	0	0	985.84	1053.04
2	जिला सहकारी बैक लि0	478.07	2165.08	1108.22	0.79	494.69	1822.96	5639.81
3	जिला भेषज सहकारी संघ एवं केन्द्रीय उपभाक्ता भण्डार	0.01	36.03	0	0	0	0	36.04
4	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/समितियां	1.62	0	2.72	0	0.10	17.76	22.20
5	सहकारी चीनी मिल एवं गन्ना सहकारी समितियां	2.78	28.93	0	0	69.98	17.06	118.75
6	किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	1.93	2.90	2.33	0	0.82	350.95	358.93
7	वेतन भोगी सहकारी समितियां	0	0	0	0	0	0.02	0.02
8	ग्राम पंचायतें	9.63	0	0	0	0	4.97	14.60
	योग:-	64.04	2300.14	1113.27	0.79	565.59	3199.56	7243.39

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 स्था0नि0ले0 / 316–18–02–2015–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / रीजियो)।